(आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in पर दिनांक 07.09.2026 को अपलोड किया जाए)

भारत सरकार,	Government of India,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,	Min. of Personnel, Public Grievances & Pension
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,	Dept. of Training and Personnel,
कर्मचारी चयन आयोग,	Staff Selection Commission
ब्लॉक स॰ 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,	Block No. 12, CGO Complex,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	Lodhi Road, New Delhi - 110003

विज्ञप्ति

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2026

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	07.09.2026 से 07.10.2026
ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि और समय	07.10.2026 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि और समय	08.10.2026 (23:00 बजे)
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथि	14.10.2026 से 16.10.2026 (23:00 बजे)
टियर-I परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) का कार्यक्रम	बाद में सूचित किया जाएगा
टियर-II परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) का कार्यक्रम	बाद में सूचित किया जाएगा
आवेदनपत्र भरने में कठिनाई होने पर कॉल करने हेतु टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर	18003093063 (टोल फ्री)

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित होता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा.सं. HQ-C1102/5/2026-C-1:- कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों और विभिन्न संवैधानिक निकायों/सांविधिक निकायों/अधिकरणों आदि के लिए समूह 'ग' पदों नामत: अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. वेतन स्तर

1.1 अवर श्रेणी लिपिक (अ.श्रे.लि.)/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक (क.स.स.) : वेतन स्तर-2 (19,900/-रुपए-63,200/-रुपए

1.2 डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ): वेतन स्तर-4 (25,500/-रुपए-81,000/-रुपए) और स्तर-5 (29,200/-रुपए- 92,300/-रुपए)

1.3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 'ए' : वेतन स्तर-4 (25,500/-रुपए-81,000/-रुपए)।

नोट-I : आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों की योग्यता-सह-प्राथमिकता के आधार पर पदों का अंतिम आवंटन करता है और एक बार पद आवंटित हो जाने पर, आयोग, किसी भी पद के लिए आवश्यक शारीरिक/चिकित्सकीय/शैक्षणिक मानकों आदि आवश्यकताओं का पूरा न करने के कारण पदों में बदलाव नहीं करेगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी ने एक पद के लिए उच्च स्तर की प्राथमिकता दी है और उसका उस पद के लिए चयन हो जाता है तो, उस मामले में, यदि वह (इसके बाद इसे "वह" पुरुष/स्त्री पढ़ा जा सकता है) चिकित्सकीय/शारीरिक/शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी (इसके बाद इसे "वह" पुरुष/स्त्री पढ़ा जा सकता है) अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

नोट-II : कोई भी मंत्रालय/विभाग/संगठन/कार्यालय आदि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के परामर्श से भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कुछ पदों को किसी भी प्रकार की दिव्यांगता के लिए अनुपयुक्त घोषित करते हुए उनसे छूट दे सकता है। हालांकि, ऐसी छूट, राजपत्र अधिसूचना सहित आयोग की वेबसाइट या रोज़गार समाचार में विज्ञप्ति/ विज्ञापन की प्रकाशन की तारीख से पहले, जो भी पहले हो, स्पष्ट रूप से आयोग के संज्ञान में लाई जानी चाहिए। यदि, प्रयोक्ता विभाग ऐसा नहीं कर पाता है, तो वह बाद में उन अभ्यर्थियों के ई-डोज़ियर/डोज़ियर लेने से मना नहीं कर सकता है, जिन्हें अंतिम परिणाम आने के बाद उस प्रयोक्ता विभाग में नामित किया गया हो, भले ही वह पद किसी विशेष दिव्यांगता के लिए उपयुक्त न माना गया हो।

2. <u>रिक्तियां</u> :

2.1 **अनंतिम रिक्तियां** : अनंतिम रिक्तियों की संख्या लगभग 2536 हैं। तथापि, रिक्तियों की सही संख्या प्रयोक्ता विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद यथा-समय निर्धारित की जाएंगी। अद्यतित रिक्तियों के साथ ही पद-वार एवं श्रेणी-वार रिक्तियां आयोग की वेबसाइट (*https://ssc.gov.in> Candidate's Corner> Tentative Vacancy*) पर यथा-समय उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा रिक्तियों का राज्य-वार/क्षेत्र-वार संग्रहण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे क्षेत्र-वार/राज्य-वार रिक्तियों की जानकारी के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करें।

3. <u>आरक्षण</u> :

3.1 सभी श्रेणियों के पदों/ सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडा वर्ग (अपिव), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) एवं बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, जहां लागू हो और स्वीकार्य हो, वह मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार मांगकर्ता मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ संवर्गो द्वारा किए गए निर्धारण एवं दी गई सूचना के अनुसार होगा।

3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए मांगकर्ता मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसरण में अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर को तैयार करना, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना तथा विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है। ऐसे मामलों में होने वाले किसी भी कोर्ट केस या कानूनी मुद्दों को संभालने की ज़िम्मेदारी संबंधित प्रयोक्ता विभाग की होगी।

3.3 आयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021 के अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III (समय-समय पर यथा संशोधित) (https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/224370.pdf) के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम, 2016 के तहत या विशिष्ट पदों के लिए मांगकर्ता विभागों/संगठनों द्वारा चिह्नित किए गए और सूचित किए गए विभिन्न बेंचमार्क दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा। दिनांक 04.01.2021 के अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडीIII को खोलने का वेब लिंक नीचे दिया गया है :-
https://divyangjan.depwd.gov.in/content/upload/uploadfiles/files/224370.pdf.

विभिन्न पदों के लिए चिह्नित की गई बेंचमार्क दिव्यांगताएं निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पद का नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए उपयुक्त श्रेणी
1	डाटा एंट्री ऑपरेटर/ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए'	बै., ख.हो., च., उ.प., प.ले., दे., सु.	क) अ.दृ, ख) ब., श्र.दि. ग) ए.बा., दो.बा., ए.पै., दो.पै., ए.बा.पै., प्र.प.,अ.कु., बौ., ए.ह.पी., मा.दु., स्नायु/ अंग शिथिलता के बिना री.वि./री.चो. घ) ऑ.स्पे. वि (ह, म.), बौ.दि., वि.अ.दि., मा.रु. ड.) उपर्युक्त (क) से (घ) सहित ब.दि.
2	अवर श्रेणी लिपिक (अ.श्रे.लि.)/कनिष्ठ सचिवालय सहायक (क.स.स.)	बै., ख.हो., च., झु., प.ले., दे., सु. सं., उ.प.	क) नेही., अ.दृ, ख) ब., श्र.दि. ग) ए.बा., दो.बा., ए.पै., दो.पै., ए.बा.पै., प्र.प., अ.कु., बौ., ए.ह.पी., मा.दु., स्नायु/ अंग शिथिलता के बिना री.वि./री.चो. घ) ऑ.स्पे. वि (ह, म.), बौ.दि., वि.अ.दि., मा.रु. ड.) उपर्युक्त (क) से (घ) सहित ब.दि.

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम :

- शारीरिक दिव्यांगताओं की प्रकृति : नेही = नेत्रहीन, अ.दृ, = अल्प-दृष्टि, ब.= बधिर, श्र.दि. = श्रवण दिव्यांग, ए.बा. = एक बांह, ए.पै. = एक पैर, दो.बा. = दोनों बांह, दो.पै. = दोनों पैर, ए.बा.पै.= एक बांह और एक पैर, प्र.प. = प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, अ.कु. = अभिसाधित कुष्ठ, बौ. = बौनापन, ए.ह.पी. =एसिड हमले के पीड़ित, मा.दु. = मांसपेशीय दुर्विकास, री.वि. = रीढ़ की हड्डी में विकृति, री.चो. = रीढ़ की चोट, ऑ.स्पे. वि. (ह, म.) = ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार (हल्का, मध्यम), बौ.दि. = बौद्धिक दिव्यांगता, वि.अ.दि.= विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता, मा.रु. = मानसिक रुग्नता, ब.दि. = बहु दिव्यांगता

- शारीरिक अपेक्षाएं : बै.=बैठना, ख.=खड़ा होना, च.=चलना, झु.=झुकना, उप.=उंगलियों से कार्यसाधन, प.लि.=पढ़ना और लिखना, दे.=देखना, सं=संचार

4. <u>राष्ट्रीयता/नागरिकता</u> :

4.1 अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व टंजान्यिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

4.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग) तथा (घ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

4.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे [अब से उसे (पुरूष/स्त्री) के संदर्भ में] आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा। बीआरओ में अवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु शारीरिक मानक, शारीरिक क्षमता परीक्षण और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाएं **अनुबंध-XVI** में दी गई हैं। अभ्यर्थी बीआरओ में किसी भी पद के लिए चयन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों की योग्यता सह वरीयता के अनुसार एक बार आबंटित पदों को बाद में इन मानकों को पूरा करने में अभ्यर्थियों की विफलता के कारण नहीं बदला जाएगा।

4.4 **सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में, यदि रिक्ति (रिक्तियां) हैं, तो इनके लिए केवल पुरूष अभ्यर्थी ही पात्र हैं।**

5. **आयु सीमा (01-08-2026 के अनुसार) :**

5.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-07-1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017 /70/87-Estt.(RR) के प्रावधानों के अनुसार आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 01-08-2026 निर्धारित की गई है। पदों के लिए आयु सीमा 18-27 वर्ष है अर्थात अभ्यर्थी, न तो 02-01-1999 से पहले और ना ही 01-08-2008 के बाद जन्म लिया हो, आवेदन करने के लिए पात्र है :-

5.2 भारत सरकार के मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट**
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	दिव्यांगजन (अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	शा.दि. (अपिव)	13 वर्ष
5.	शा.दि. (अजा /अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	दिनांक 01.08.2026 को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा/अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

5.3 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई जन्मतिथि और मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित वही जन्मतिथि ही आयु पात्रता के निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

5.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, जैसा कि **कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.)** में उल्लिखित है, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

5.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

5.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए यह आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा, पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि अर्थात 07.10.2026 से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए।

5.7 भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनर्नियोजन) समय -समय पर यथा संशोधित नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के रूप में परिभाषित किया गया है, और सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/3/ 2021-Estt.(Res.II) , दिनांकित 27.02.2023 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान निहित हैं :

"सशस्त्र बलों में कार्यरत अभ्यर्थी सिविल पदों पर आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती / परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बल सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे । बशर्ते कि जब चयन प्रक्रिया आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है तो अभ्यर्थी को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद स्वयं को सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया है। "

ऐसे अभ्यर्थियों के पास इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक नियमों के परिशिष्ट V(क) और V(ख) के अनुसार निर्धारित प्रमाणपत्र और वचन पत्र भी होने चाहिए।

5.8 **<u>स्पष्टीकरण</u> :**

भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है-

5.8.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

i. जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से, अपने अनुरोध पर अथवा जिन्हें नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो, निवृत अथवा कार्यमुक्त हुआ हो या
ii. जिसे सैनिक सेवा/ या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या
iii. जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

अथवा

5.8.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी शामिल हैं;

अथवा

5.8.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

5.8.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

5.8.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

5.8.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

5.9 एक मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सैना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अत: ऐसे मैट्रिकुलेट भूपूसै, जिन्होंने आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

5.10 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है।** अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

6. <u>प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप</u> :

6.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र उस समय प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की संबंधित मांगकर्ता विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/आकव./बे.दि/भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी । प्रमाणपत्रों के प्रारुप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,1995 (1996 का 1) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.2 अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी से संबंधित हैं और संबंधित मांगकर्ता मंत्रालयों/ विभागों / संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय इस तरह के प्रमाणपत्र मांगे जाने पर वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके इसे साबित करने में सक्षम हैं जिसमें विफल होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदनपत्र में भरी गई श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के लिए मांगकर्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी X ने अपने आवेदन पत्र में ओबीसी भरा। तथापि, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान, वह वैध ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में, मांगकर्ता विभाग/संगठन द्वारा X की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

6.3 बेंचमार्क दिव्यांग (बें.दि.) अभ्यर्थी ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी अर्थात अ.दि./श्र.दि. /दृ.दि/ बें.दि.- अन्य का चयन करना होगा। बाद में, किसी भी परिस्थिति में, बेंचमार्क दिव्यांगता उप-श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित मांगकर्ता मंत्रालयों/ विभागों/संगठनों द्वारा मांगे जाने पर आवेदन पत्र में घोषित उप श्रेणी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी

जाएगी। यह ध्यान दिया जाए कि प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.01.2021 की अधिसूचना संख्या 38-16 / 2020-DD-III के अनुसार दिव्यांगता / दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे ए.बा., ए.पै, दो.पै, बौ., मा.रु., वि.अ.दि.आदि) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में भरी गई दिव्यांगता की उप श्रेणी के समर्थन में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी रूप में, जैसे- डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

6.4 अजा/अजजा/अपिव/बैं.दि/भूपूसै स्थिति के दावे या किसी अन्य लाभ नामत: शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यहां निर्णायक तिथि का अभिप्राय यह नहीं है कि प्रमाणपत्र की तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पहले होनी चाहिए, इसका अर्थ है कि निर्णायक तिथि पर अभ्यर्थी को यथा प्रयोज्य अजा/अजजा/अपिव/बैं.दि/भूपूसै श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए। तथापि, आ.क.व. में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-Estt (Res) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आय और संपत्ति प्रमाणपत्र है।

6.5 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चहिए कि वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है। अपिव श्रेणी के आवेदक, जो भारत सरकार के, समय-समय पर यथा संशोधित, अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, आयु में छूट, आरक्षण आदि चाहते हैं, उन्हें प्रारूप **(अनुबंध -X)** के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र देना होगा।

> नोट : आयोग अभ्यर्थियों से निर्णायक/कट-ऑफ तिथि के भीतर जारी अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अपिव अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके दावे के सत्यापन के अधीन होगी। अपिव के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय से संबंधित प्रमाणपत्र है और वह निर्धारित तारीख को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।

6.6 आकव श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करने वाले आवेदकों को, जब भी आयोग/प्रयोक्ता विभाग द्वारा मांगा जाए, अनिवार्य रूप से प्रारूप **(अनुबंध- XIV)** के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण आदि के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.7 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/आकव/बे.दिव्यां/भूपूसै दर्जे का दावा करते हैं या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

7. <u>प्रतिपूरक समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता</u>:

7.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में आने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहे तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।

7.2 बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) की शेष श्रेणियों के मामले में, परीक्षा के समय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक/सहायक तकनीक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है। **<u>अनुबंध-I</u>** पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार ऐसा प्रमाण पत्र सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक की ओर से जारी किया जाना चाहिए।

7.3 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 10.08.2022 के का.ज्ञा. सं. 29-6/2019-डीडी-III के अनुसरण में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई का अनुभव करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी प्रलिपिक/सहायक तकनीक की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा **<u>अनुबंध-Iक</u>** के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

7.4 बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रलिपिक/सहायक तकनीक की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उन्होंने **ऑनलाइन आवेदन पत्र** में इस विकल्प का **चयन किया हो**।

7.5 यदि बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थी अपने ही प्रलिपिक का विकल्प देता है तो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए :

क) किसी व्यक्ति को आयोग की वेबसाइट पर अपना एक-बारगी पंजीकरण (ओटीआर) और आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद ही प्रलिपिक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

ख) कोई भी प्रलिपिक एक ही परीक्षा में एक से अधिक अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान नहीं करेगा।

ग) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी उसी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यदि किसी भी चरण पर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने प्रलिपिक के रूप में किसी बेंचमार्क दिव्यांगजन/दिव्यांग अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की परीक्षा में सहायता की है, तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

घ) प्रलिपिक की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होगी।

ङ) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रलिपिक के संबंध में दी गई जानकारी सही है। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी (बें.दि./ दि.) ने प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाया है और वह प्रलिपिक प्रतिरूपणकर्ता पाया जाता है और/अथवा प्रलिपिक या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य/गलत पाई

जाती है, तो अभ्यर्थी को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी (बें.दि./दि.) की अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

च) अभ्यर्थियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा लिए गए प्रलिपिक आयोग की वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं हैं। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग/क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए वारित व्यक्तियों की सूची को ध्यान से देखें।

नोट : उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रलिपिक को भी मौजूदा नियमों के अनुसार वारित कर दिया जाएगा, प्रलिपिक के विरुद्ध प्रासंगिक कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

7.6 बेंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) अभ्यर्थियों को स्वयं के प्रलिपिक का चयन करने के लिए **अनुबंध-II** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षा के समय स्वयं के प्रलिपिक का विवरण जमा करना होगा। उपर्युक्त **पैरा 7.3** के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र दिव्यांगजन अभ्यर्थी (पीडब्ल्यूडी) जो स्वयं के प्रलिपिक का विकल्प चुनते हैं उन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय **अनुबंध-IIक** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक का विवरण जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रलिपिक को परीक्षा के समय एक वैध मूल पहचान प्रमाणपत्र (**पैरा 14.7** पर दी गई सूची के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटोप्रति जिस पर अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो **अनुबंध-II/अनुबंध-IIक** में प्रपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो देगा।

7.7 स्वयं के प्रलिपिक के पंजीकरण और उसके लिए विकल्प देने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रलिपिक के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनने से पहले, उस व्यक्ति (प्रलिपिक) के लिए आयोग की वेबसाइट पर एक-बारगी पंजीकरण (ओटीआर) पूरा करना होगा और आधार प्रमाणित अवश्य होना चाहिए। पंजीकरण के दौरान प्रलिपिक के मोबाइल नंबर पर जनरेट किए गए ओटीआर नंबर को अभ्यर्थी द्वारा भरना होगा ताकि वह उस व्यक्ति को अपना प्रलिपिक चुन सके।

(ख) जब प्रवेश प्रमाणपत्र लाइव हो जाता है, तो अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट को खोलना होगा (एक्सेस करना) और प्रलिपिक का ओटीआर नंबर देना होगा। एक-बारगी पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और प्रलिपिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को प्रलिपिक से ओटीपी प्राप्त करना होगा और पोर्टल पर उपयुक्त फ़ील्ड में उसे भरना होगा। अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि प्रवेश प्रमाणपत्र जनरेट करते समय अपना स्वयं का प्रलिपिक चुनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

(ग) प्रक्रिया पूरी करने के बाद, अभ्यर्थी का प्रवेश प्रमाण-पत्र तथा प्रलिपिक का प्रवेश पास तैयार हो जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकता है।

(घ) यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र तैयार करते समय अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में प्रलिपिक का विकल्प चुनने के बावजूद स्वयं के लिए प्रलिपिक नहीं लेना चाहता हो, तो अभ्यर्थी आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रलिपिक की सहायता का विकल्प ले सकता है। ऐसा विकल्प चुनने के बाद अभ्यर्थी प्रवेश प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा के समय प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ङ) यदि अभ्यर्थी द्वारा चुना गया प्रलिपिक, जिसका प्रवेश पास भी तैयार हो चुका है, किसी कारण अभ्यर्थी की सहायता के लिए परीक्षा के समय नहीं आता है, तो आयोग परीक्षा के समय प्रलिपिक उपलब्ध कराएगा।

7.8 यदि अभ्यर्थी अपना स्वयं का प्रलिपिक चुनता है तो वह प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

7.9 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त **पैरा 7.1, 7.2 और 7.3** में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रतिघंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

7.10 **उपरोक्त पैरा 7.1, 7.2 और 7.3** में निर्दिष्ट अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

7.11 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के प्रलिपिक के अलावा किसी अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.12 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आशिंक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लैंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लैंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते है, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लैंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लैंस लाना होगा।

7.13 बेंचमार्क दिव्यांगजन/दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे संगत दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा।

8. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (दिनांक 07-10-2026 तक)

8.1 उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ)/ डीईओ ग्रेड 'ए' के लिए: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से एक विषय के रूप में गणित सहित विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।

8.2 अवर श्रेणी लिपिक/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक तथा डाटा एंट्री आपरेटर / डाटा एंट्री आपरेटर ग्रेड 'ए' के लिए (उपर्युक्त पैरा **8.1** पर उल्लिखित मंत्रालय/ विभाग में डीईओ को छोडकर) **:** अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

8.3 जो अभ्यर्थी 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष की परीक्षा दे रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कटऑफ तारीख अर्थात दिनांक 07.10.2026 को या उससे पहले उत्तीर्ण कर ली है।

8.4 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, जब तक ऐसी डिग्रियाँ संगत अवधि के लिए मान्य न हों जब अभ्यर्थी ने उन्हें अर्जित किया है, उन्हें शैक्षणिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई ऐसी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रासंगिक अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को दिए गए अनुमोदन को भी प्रस्तुत करेंगे।

8.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला, फिजियोथेरेपी और अन्य निषिद्ध विषयों में कार्यक्रमों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड या ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेश करने की अनुमति नहीं है, सिवाय जहां ऐसे कार्यक्रमों को संबंधित सांविधिक/नियामक निकाय द्वारा अनुमति दी गई है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, ऐसे निषिद्ध कार्यक्रमों में ओडीएल/ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त योग्यताएं स्वीकार नहीं की जाएंगी, सिवाय जहां उन्हें लागू सांविधिक प्रावधानों, विनियमों या न्यायिक आदेशों के अनुसार मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.03.2019 एम.ए. संख्या 3092/2018 डब्ल्यू.पी. (सि) संख्या 382/2018 (मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई और अन्य) के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नु) द्वारा प्रदान की गई बी.टेक. इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा को जहां भी लागू हो, वैध माना जाएगा।

8.6 अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात प्रयोक्ता विभागों/ मंत्रालयों/संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। संबंधित मांगकर्ता विभागों/संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के प्रयोजनार्थ मांगे जाने पर, अभ्यर्थियों को अनुबंधित समय-सीमा अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण पत्र जैसे इंटरमीडिएट/ उच्चतर माध्यमिक/10+2/उच्च माध्यमिक की अंक तालिकाएं / अनंतिम प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा, ऐसा न होने पर, आयोग या प्रयोक्ता विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा। यह पुन: बताया जाता है कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के परिणाम बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक तिथि अर्थात **07.10.2026** तक घोषित हो जाने चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक अंतिम तिथि के पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं है।

8.7 समतुल्य शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समतुल्यता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों/मंत्रालयों/संगठनों/ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

9. <u>आवेदन करने का तरीका</u> :

9.1 आवेदन पत्र कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात http://ssc.gov.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से अथवा mySSC मोबाईल एप्लीकेशन (जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध- III और अनुबंध- IV** और साथ ही, आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल ऐप से संबंधित दिनांक 02.6.2025 की सूचना का अवलोकन करें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **अनुबंध- IV और अनुबंध- IVक** के रूप में दिए गए हैं।

9.2 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और जिन्होंने नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले नई वेबसाइट पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई साइट पर काम नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैद्य बना रहेगा। ओटीआर के लिए विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति **के अनुबंध-।।।** में दिए गए हैं।

9.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

9.4 आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को अपना पहले लिया गया फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को आवेदन पत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कंप्यूटर / मोबाइल फोन के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा।

(i) **अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।**

(ii) **फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।**

(iii) **अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।**

(iv) **यह सुनिश्चित करें कि चेहरा पूरी तरह से कैमरे द्वारा सीमांकित निर्धारित क्षेत्र के अंदर समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस क्षेत्र को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस सीमांकित क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए ।**

(v) **अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।**

9.5 परीक्षा में शामिल होने के दौरान अभ्यर्थी को वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदन पत्र में उसकी फोटो लगाई गई है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, बिना टोपी या चश्मा के हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। **किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा**। तथापि, **अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण** प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन उपरोक्त आधार पर **अस्वीकार नहीं किए जाएंगे**।

9.6 अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 से.मी. (चौड़ाई) X 2.0 से.मी. (ऊंचाई) होना चाहिए। **अनुपयुक्त फोटो युक्त और धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।** तथापि, अभ्यर्थियों के **आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया** के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन को उपरोक्त आधार पर **अस्वीकार नहीं किए जाएंगे**।

9.7 बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जो आरक्षण या प्रलिपिक या प्रतिपूरक समय या उनमें से किसी भी संयोजन का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदनपत्र भरते समय यथाप्रयोजय **अनुबंध-I, अनुबंध-Iक** और **अनुबंध- XI से XII** के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

9.8 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय 07-10-2026 (23:00 बजे तक) है।

9.9 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें ताकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता और कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉगइन करने में विफलता से बचा जा सके।

9.10 आयोग पूर्वोक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9.11 **ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को प्रीव्यू/ प्रिंट विकल्प के माध्यम से यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदनपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। उन्हे यह जांच भी कर लेनी चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की एक प्रति अपने पास रखें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे डीओपीटी के दिनांक 21.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/1/2016- स्थापना (ख) के निर्देशों के अनुसार, भविष्य में दूसरी एजेंसियों द्वारा उनकी अभ्यर्थिता पर संभावित विचार किए जाने की स्थिति में अपने आवेदन पत्र और परीक्षा से जुड़े अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे स्कोर/अंक, उत्तर रिस्पांस शीट आदि) कम से कम 03 साल तक संभाल कर रखें।**

9.12 अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना दस्तावेज़ प्रमाणीकरण के समय मूल दस्तावेज़ों के संदर्भ में प्रयोक्ता विभाग/आयोग द्वारा सत्यापित की जाएगी। दस्तावेज़ों के प्रमाणीकरण के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो, उसका/उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है।

10 आवेदन शुल्क :

10.1 देय शुल्कः 100/-रूपए (एक सौ रूपए मात्र)।

10.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्लूडी) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10.3 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भीम यू.पी.आई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है। ऑनलाइन शुल्क का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा 08.10.2026 (**23:00 बजे तक**) किया जा सकता है।

10.4 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं मिली है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हो गया है। यदि कर्मचारी चयन आयोग को शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति **'Incomplete'** दर्शाएगा तथा यह सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की स्क्रीन में लॉगइन स्क्रीन में दिये गए लिंक "Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन, जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहती है, उनको **सरसरी तौर पर रद्द** कर दिया जाएगा और परीक्षा की विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.6 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

11. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [14-10-2026 से 16-10-2026 (23:00 बजे)]:

11.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी मापदण्डों को संपादित/संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को तीन (03) दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित संशोधन/परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित/सुधार करने और संशोधित आवेदन को पुनः जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद पुनः सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

11.4 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए 200/-रुपए की एकसमान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए 500/-रुपए की एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो ।

11.5 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

11.6 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

11.7 लागू सुधार राशि के अध्यधीन, नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

11.8 यदि कर्मचारी चयन आयोग को सुधार शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति **'Incomplete'** दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। ऐसे आवदेनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पहले जमा किए आवेदन वैध रहेंगे।

11.9 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने प्रपत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त हाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

12. परीक्षा केन्द्र

12.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों की अनंतिम सूची तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण और उनके क्षेत्राधिकार में स्थित परीक्षा केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/वेबसाइट
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), गया (3203), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), छपरा (3208), सहरसा (3210), दरभंगा (3202), पूर्णिया (3209), मुंगेर (3211)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज-211001 (https://www.ssc-cr.org)
2.	श्री विजयपुरम (4802), बोकारो (4201), रांची (4205), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), बालासोर (4601), बेहरामपुर (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), बर्दवान (4422), कोलकाता (4410), मालदा (4412), सिलीगुड़ी (4415), सुरी (4416), कल्याणी (4419), दुर्गापुर (4426)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)/ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3.	बेलगवी (9002), बेंगलूरू (9001), हुबली (9011), कलाबुर्गी (गुलबर्गा) (9005),	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)/ लक्षद्वीप कर्नाटक	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय

क्र.सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/वेबसाइट
	मेंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), एरणाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्ट्यम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशुर (9212), तिरूवनंतपुरम (9211), कन्नूर (9202), कावारत्ती (9401), आलापुझा 9201), **मलप्पुरम (9207)**	और केरल	सदन, कोरमंगला, बेंगलुरू, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205).	मध्य प्रदेश क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.)/ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट भवन, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.gov.in)
5.	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), तेजपुर (5112), इम्फाल (5501), चूड़ाचांदपुर (5502), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजॉल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.)/अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्टगेट, बेलतला-बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6.	देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), दिल्ली (2201), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), सीकर (2411), उदयपुर (2409)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)/ दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.nic.in)

क्र.सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/वेबसाइट
7.	चण्डीगढ़/ मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), लेह (1005), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), बठिंडा (1401)	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या-3, भू-तल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8.	गुंटूर (8001), कुर्नूल (8003), राजमुंदरी (8004), तिरूपति (8006), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), काकीनाड़ा (8009), नेल्लौर (8010), ओंगोल (8014), श्रीकाकुलम (8015), एलुरू (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयबंटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरूचिरापल्ली (8206), तिरूनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), कृष्णागिरी (8209), हैदराबाद (8601), वारंगल (8603), करीमनगर (8604), सिद्दीपेट (8605)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत भवन, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वदोदरा (7002), अमरावती (7201), छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नाशिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)/ दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 (www.sscwr.net)

12.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के किसी भी चरण/टियर पर केंद्र में परिवर्तन करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

12.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को उपर्युक्त **पैरा 12.1** पर दिए गए केंद्रों की सूची में अतिरिक्त केंद्र (केंद्रों) को जोड़ने या उपरोक्त सूची में से किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र में परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को परीक्षा देने हेतु किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

13. <u>परीक्षा की रूपरेखा</u>

13.1 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा निम्नानुसार दो टियरों में आयोजित की जाएगी :

13.1.1 टियर- I
13.1.2 टियर- II

13.2 यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षा अनेक पालियों में आयोजित की गई है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा दिनांक **02.06.2025** की विज्ञप्ति के तहत प्रकाशित प्रक्रिया के प्रयोग से सामान्यीकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का प्रयोग अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

13.3 परीक्षा के पश्चात कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं तथा आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई है, प्रति प्रश्न 50/-रुपए जोकि **अप्रतिदेय** है, का भुगतान कर केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। अन्य माध्यमों, जैसे-पत्र, आवेदन, ई-मेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उत्तर-कुंजी अपलोड करते समय, आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के अंदर प्राप्त उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन को उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले संवीक्षित किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए अंतिम उत्तर-कुंजी का उपयोग किया जाएगा और इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

13.4 आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दिनांक 10.04.2026 की विज्ञप्ति के माध्यम से 'दावा/आपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़े दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये इस परीक्षा के लिए लागू होंगी।

13.5 विज्ञप्ति में उल्लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अनंतिम है। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव और अन्य कोई सूचना केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

13.6 प्रश्न-पत्र में जहां भी आवश्यक हो, भार और माप की मेट्रिक प्रणाली व्यवस्था का प्रयोग किया जाएगा।

13.7 परीक्षा के किसी भी चरण/ टियर (टियरों) में अंकों के पुनर्मूल्यांकन/ पुन: जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.8 **<u>टियर- I परीक्षा की रूप रेखा</u>**

टियर	भाग	विषय (अनुक्रम में नहीं हैं)	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	समयावधि (सभी चार भागों के लिए)
I	I	अंग्रेजी भाषा (मूलभूत जानकारी)	25 / 50	60 मिनट (प्रत्येक विषय के लिए 15 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ)
	II	सामान्य बुद्धिमत्ता	25 / 50	पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट (प्रत्येक विषय के लिए 15+5 =20 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ)
	III	संख्यात्मक अभिरूचि : (सामान्य अंकगणितीय योग्यता)	25 / 50	
	IV	सामान्य जागरूकता	25 /50	

13.8.1 टियर-I परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र अंग्रेजी, हिंदी और आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई भाषा में तैयार किए जाएंगे, जैसा कि टियर- I परीक्षा के भाग- II, III और IV के लिए **<u>अनुबंध-XV</u>** में दिया गया है।

13.8.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंकों का नकारात्मक अंकन होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों के उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

13.9 **टियर-II परीक्षा की रूपरेखा** :

टियर	सत्र	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अनुमत्य समय
II	**सत्र-I (2 घंटे और 15 मिनट)**	**खंड-I:** **क** : गणितीय योग्यताएं **ख** : तर्कशक्ति और सामान्य बुद्धिमत्ता	30 30 Total = 60	60∗3 = 180	1 घंटा (गणितीय योग्यताएं तथा तर्कशक्ति और सामान्य बुद्धिमत्ता प्रत्येक के लिए 30 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ) [पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक हेतु पात्र अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा 20 मिनट (प्रत्येक विषय के लिए 30+10=40 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ)]

		खंड-II: **क:** अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान **ख:** सामान्य जागरूकता	40 20 Total = 60	60X3 =180	1 घंटा (विषय क नामत: अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान के लिए 40 मिनट और विषय ख नामत: सामान्य जागरूकता के लिए 20 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ) [पैरा-7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए हेतु 1 घंटा 20 मिनट (विषय क नामत: अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान के लिए 40+15=55 मिनट और विषय ख नामत: सामान्य जागरूकता के लिए 20+5=25 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ)]
		खंड-III: कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा	15	15x3 = 45	15 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों हेतु ए 20 मिनट)
	सत्र-II	**खंड-IV :** कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा	**भाग क:** पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय में डीईओ के लिए कौशल परीक्षा	-	15 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों हेतु 20 मिनट)
			भाग ख: पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय में छोडकर डीईओ के लिए कौशल परीक्षा	-	15 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों हेतु 20 मिनट)
			भाग ग: अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए टंकण परीक्षा		10 मिनट (पैरा 7.1, 7.2 और 7.3 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों हेतु 15 मिनट)

13.9.1 टियर-II में निम्नलिखित चार खंड शामिल होंगे :

13. 9.1.1 **खंड-I:**

क : गणितीय योग्यताएं

ख : तर्कशक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता

13. 9.1.2 **खंड-II:**

क : अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान

ख **:** सामान्य जागरूकता

13. 9.1.3 **खंड-III :** कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा

13. 9.1.4 **खंड-IV** : कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा

13.9.2 टियर-II परीक्षा दो सत्रों: सत्र-I और सत्र-II में, एक ही दिन आयोजित की जाएगी। सत्र-I में खंड-I, खंड-II और खंड-III का आयोजन शामिल होगा। सत्र-II में खंड-IV का आयोजन शामिल होगा।

13.9.3 सत्र-। में खंड-।, खंड-।। और खंड-।।। का आयोजन होगा। इसलिए सत्र-। की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी।

13.9.4 खंड-I में दो भाग हैं नामत: क (गणितीय योग्यताएं) और ख (तर्कशक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता)। अभ्यर्थियों को इस खंड को पूरा करने के लिए एक घंटे का समय मिलेगा। एक घंटा पूरा होने पर यह खंड स्वत: ही बंद हो जाएगा।

13.9.5 खंड-I के पूरा होने के तुरंत पश्चात, खंड-II के दो भाग नामत: क (अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान) और ख (सामान्य जागरूकता) शुरू होंगे। खण्ड-II भी एक घंटे का होगा और एक घंटा पूरा होते ही यह खण्ड स्वत: ही बंद हो जायेगा।

13.9.6 खंड-III अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा खंड-II के पूरा होने के तुरंत बाद शुरू होगा और 15 मिनट की अवधि के लिए होगा। खंड-III पूरा होने पर, सत्र-I समाप्त हो जाएगा।

13.9.7 सत्र-I के पूरा होने के बाद, अभ्यर्थियों को सत्र-II में पुनः पंजीकरण के लिए एक विराम (ब्रेक) मिलेगा।

13.9.8 सत्र-II में खंड- V अर्थात कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा को शामिल किया जाएगा।

13.9.9 **अभ्यर्थियों के लिए टियर-II के सभी खंडों में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

13.9.10 टियर-II में खंड- IV को छोड़कर वस्तुनिष्ठ प्रकार के/बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड-II में भाग क (अर्थात अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान मॉड्यूल) को छोड़कर प्रश्नपत्र अंग्रेजी, हिंदी और आवेदन पत्र

में अभ्यर्थियों द्वारा चुनी गई कोई भी भाषा, जैसा कि **अनुबंध-XV** पर दिया गया है, में तैयार किए जाएंगे।

13.9.11 खंड-I, खंड-II और खंड-III में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।

13.9.12 खंड-III अर्थात कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा अनिवार्य है लेकिन अर्हक प्रकृति की है।

13.9.13 खंड- IV अर्थात कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा:

13.9.13.1 सत्र-II में उसी दिन खंड- IV में कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा का आयोजन होगा

13.9.13.2 कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

13.9.13.3 कौशल परीक्षा/ टंकण परीक्षा का मूल्यांकन आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

13.9.13.4 कौशल परीक्षा में त्रुटियों की गणना दशमलव के दो स्थानों तक की जाएगी।

13.8.13.5 कौशल परीक्षा/टंकण परीक्षा निम्नलिखित रूप रेखा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :

13.9.13.6 **डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा:**

(i) डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कौशल परीक्षा अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट नहीं है।

(ii) **भाग क - पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय में डीईओ/डीईओ ग्रेड 'ए' के पद के लिए कौशल परीक्षा** : दिए गए गद्यांश (पैसेज) के अनुसार 'कंप्यूटर पर 15,000 (पंद्रह हजार) की की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घंटे की डाटा एंट्री स्पीड' की शब्दों/ की-डिप्रेशन (Key Depression) की सही प्रविष्टि के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 15 (पंद्रह) मिनट की होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को लगभग 3700-4000 की-डिप्रेशन वाली अंग्रेजी में मुद्रित विषय-वस्तु दी जाएगी, जो इसे कंप्यूटर में दर्ज करेगा। कंप्यूटर में दर्ज किए जाने वाले गद्यांश (पैसेज) को कंप्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

(iii) **भाग ख - पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय को छोडकर डीईओ/डीईओ ग्रेड 'ए' के पद के लिए कौशल परीक्षा**: दिए गए गद्यांश (पैसेज) के अनुसार 'कंप्यूटर पर 8000 (आठ हजार) की डिप्रेशन प्रति घंटे की डाटा एंट्री स्पीड' की शब्दों /की-डिप्रेशन की सही प्रविष्टि के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 15 (पंद्रह) मिनट की होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को लगभग 2000-2200 की-डिप्रेशन वाली अंग्रेजी में मुद्रित विषय-वस्तु दी जाएगी, जो इसे कंप्यूटर में दर्ज करेगा। कंप्यूटर में दर्ज किए जाने वाले गद्यांश (पैसेज) को कंप्यूटर स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

(iv) **पैरा 7.1, 7.2 और 7.3** के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 5 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। अत: ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षा की अवधि 20 मिनट होगी।

13.9.13.7 **<u>भाग ग - अन्य पदों अर्थात अवर श्रेणी लिपिक / कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए टंकण परीक्षा</u>** :

(i) टंकण परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में टंकण परीक्षा का माध्यम (अर्थात हिंदी या अंग्रेजी) चुनना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदनपत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए टंकण परीक्षा संबंधी विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में टंकण परीक्षा के माध्यम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

(iii) अंग्रेजी माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थियों की टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) होनी चाहिए और हिंदी माध्यम चुनने वालों की टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट (w.p.m.) होनी चाहिए। 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट लगभग 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटे और लगभग 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप हैं।

(iv) गति का आंकलन 10 मिनट में दिए गए गद्यांश (पैसेज) का कंप्यूटर पर टंकण करने की सटीकता के आधार पर किया जाएगा।

(v) पैरा **7.1, 7.2 और 7.3** के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 5 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए टंकण परीक्षा की अवधि 15 मिनट होगी।

(vi) उन दृष्टिगत दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रलिपिक का विकल्प चुना है उन्हें टंकण परीक्षा के लिए पाठ वाचक उपलब्ध कराए जाएंगे। पाठ वाचक आवंटित समय अवधि के भीतर दृष्टिगत दिव्यांग अभ्यर्थी को गद्यांश (पैसेज) पढ़कर सुनाएगा।

(vii) दिव्यांग अभ्यर्थी, जो अन्यथा पद (पदों) को प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त हैं और जिन्हें सक्षम चिकित्सीय प्राधिकरण अर्थात सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन द्वारा टंकण परीक्षा देने के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त होने पर प्रमाणित किया गया है, उन्हें टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने की छूट दी जा सकती है। ऐसा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप **(अनुबंध-XIII)** में जमा कराना होगा। इस मामले में 'दिव्यांग व्यक्ति' शब्द उन लोगों पर लागू नहीं होता, जो दृष्टि बाधित हैं या श्रवण बाधित हैं, बल्कि इसमें केवल वे लोग शामिल हैं जिनकी शारीरिक अक्षमता उन्हें हमेशा के लिए टंकण करने से रोकती है। इसके अलावा, ऐसे अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के समय, परीक्षा की विज्ञप्ति के **अनुबंध-XI से अनुबंध-XII तक** निर्धारित प्रारूप में संबंधित चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र देकर अपने दावे की पुष्टि करनी होगी। अन्यथा, टंकण परीक्षा में छूट मांगने के उनके दावे पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

viii. अवर श्रेणी लिपिक/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद के लिए टंकण/कौशल परीक्षा के लिए हिंदी भाषा चुनने वाले अभ्यर्थियों को **केवल मंगल फ़ॉन्ट** में टाइप करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य फॉन्ट का उपयोग करने पर वे अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद के लिए या अन्य किसी समकक्ष पद के लिए टंकण/कौशल परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

13.10 **संकेतात्मक पाठ्यक्रम (टियर- I):**

13.10.1 **अंग्रेजी भाषा :** त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कतृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रुपान्तरण, वाक्यांशों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों के फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ।

13.10.2 **सामान्य बुद्धिमता** : इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, स्पेस आरिएन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमान, अंकीय/आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत श्रृंखला,आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृंखला, अन्तः स्थापित रेखाचित्र, अंक श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, संख्यात्मक संचालन, अन्य उप विषय यदि कोई हों, से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा।

13.10.3 **संख्यात्मक अभिरुचि** :

i. **अंक प्रणाली :** पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध।

ii. **आधारभूत अंकगणितीय संचालन :** प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज(साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य

iii. **बीजगणित :** स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी (सामान्य समस्या) के मूलभूत बीजगणितीय ज्ञान और रेखीय समीकरणों के ग्राफ ।

iv. **ज्यामिति :** सामान्य ज्यामितिय आंकड़ों एवं तथ्यों से परिचित होना : त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्तकी जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं।

v. **क्षेत्रमिति :** त्रिकोण, चर्तुभुज, सम बहुभुज, वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तर षटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय समपिरेमिड।

vi. **त्रिकोणमिति :** त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी (केवल सामान्य समस्या) मानक सहरुप्यता जैसे $\sin^2 \theta + \text{Cos}^2 \theta = 1$ आदि।

vii. **सांख्यिकी और संभावना :** तालिकाओं और ग्राफ का प्रयोग : हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन; सरल प्रायिकताओं की गणना।

13.10.4 **<u>सामान्य जागरूकता</u> :** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।.

13.10.5 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और संख्यात्मक अभिरूचि प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/ आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

13.11 <u>संकेतात्मक पाठ्यक्रम (टियर-II)</u> :

13.11.1 गणितीय योग्यताएं :

i. **अंक प्रणाली :** पूर्णांक संख्याओं का अभिकलन,दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध।

ii. **आधारभूत अंकगणितीय संचालन :** प्रतिशतता, भागफल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज(साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य

iii. **बीजगणित :** स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी (सामान्य समस्या) के मूलभूत बीजगणितीय ज्ञान और रेखीय समीकरणों के ग्राफ ।

iv. **ज्यामिति :** सामान्य ज्यामितिय आंकड़ों एवं तथ्यों से परिचित होना : त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत्त और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत्तकी जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या आधिक वृत्तों की समान स्पर्श रेखाएं।

v. **क्षेत्रमिति :** त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज,वृत्त, समप्रिज्म, सम गोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलार्ध, आयताकार समान्तर षटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय समपिरेमिड।

vi. **त्रिकोणमिति :** त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी (केवल सामान्य समस्या) मानक सहरुप्यता जैसे $\sin^2 \theta + \text{Cos}^2 \theta = 1$ आदि।

vii. **सांख्यिकी और संभावना :** तालिकाओं और ग्राफ का प्रयोग : हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन; सरल प्रायिकताओं की गणना।

13.11.2 **तर्कशक्ति एवं सामान्य बुद्धिमत्ता :** इसमें शब्दिक और गैर-शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शमिल होंगे। इनमें सीमेंटिक समानता, प्रतीकात्मक संचालन, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, उपनति, आंकड़े संबंधी समानता अन्तराल अभिविन्यास, सीमेंटिक वर्गीकरण, वेन डाइग्राम, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमिति, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, पंचड होल/ पैटर्न फोल्डिंग व अन्फ़ोल्डिंग, सीमेंटिक समानता, अंक समानता, अंत: स्थपित आंकड़े, आंकड़े संबंधी समानता, आलोचनात्मक विवेचन, समस्या समाधान, कोडिंग/डिकोडिंग, संख्यात्मक संचालन, अन्य उप विषय, यदि कोई है, आदि से संबंधित प्रश्न शमिल होंगे।

13.11.3 **अंग्रेजी भाषा एवं परिज्ञान :** शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक और उनका उचित प्रयोग; गलती की पहचान, रिक्त स्थानों की पूर्ति, समानार्थक, विलोमार्थक, वर्तनी/अशुद्ध शब्दों की पहचान, मुहावरे और वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों का सुधार, क्रियाओं के क्रियाओं के कर्तृ वाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्णन का परिवर्तन, परिच्छेद में वाक्यों के भागों का परिवर्तन, निकट परिच्छेद और परिज्ञान परिच्छेद। बोध के परीक्षण हेतु दो या उससे अधिक अनुच्छेद दिए जाएंगे और उनके आधार पर दिए गए प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम एक अनुच्छेद साधारण, एक अनुच्छेद किसी पुस्तक अथवा कहानी पर आधारित और अन्य दो अनुच्छेद सामयिकी पर, किसी रिपोर्ट या संपादकीय पर आधारित होना चाहिए।

13.11.4 **सामान्य जागरूकता :** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।.

13.11.5 **कंप्यूटर ज्ञान/दक्षता :**

i. **कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान :** कंप्यूटर की संरचना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू), इनपुट/आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गनाइजेशन, बैक-अप डिवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर की बोर्ड शॉर्टकट।

ii. **सॉफ्टवेयर :** विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम सहित माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मूल ज्ञान जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट आदि।

iii. **इंटरनेट और ई-मेल के साथ काम करना :** वेब ब्राउजिंग और सर्च करना, डाउनलोड करना और अपलोड करना। ई-मेल अकाउंट का प्रबंधन, ई-बैंकिंग।

iv. **नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा की मूल बातें :** नेटवर्किंग डिवाइस और प्रोटोकॉल, नेटवर्क और सूचना सुरक्षा खतरे (जैसे हैकिंग, वायरस, वर्म्स, ट्रोजन आदि) और निवारक उपाय।

13.11.6 **40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए गणितीय योग्यता तथा तर्कशक्ति और सामान्य बुद्धिमत्ता मॉड्यूल में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।**

14. परीक्षा में प्रवेश

14.1 उन सभी अभ्यर्थियों को, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई नियम और शर्तों के अनुसार अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिए जाएंगे और प्रवेश पत्र (एसी) जारी किया जाएगा। तदनंतर, अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

14.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा, और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में अवश्य पढ़ें और उनके बारे में स्वयं संतुष्ट हों कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। मांगकर्ता प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय उनकी शैक्षिक योग्यता और जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण पत्र/दस्तावेज मांगे जाएंगे। शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात प्रयोक्ता विभागों द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा मांगे जाने पर उन्हें अपनी शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाणपत्र/दस्तावेज जमा करने होंगे। शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों आदि की जांच के पश्चात यदि आवेदन में किए गए कोई भी दावा प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों से पुष्ट नहीं होता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

14.3 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी व सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट (अर्थात https://ssc.gov.in) और आयोग के संबंधित

क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं ब्यौरा **पैरा 12.1** पर है) की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तिथि से लगभग 10 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण संख्या, रोल नम्बर, पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर सहित अपना नाम, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14.6 परीक्षा से 2-3 तीन दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

14.7 **जिन अभ्यर्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, उन्हें परीक्षा आरंभ होने के समय से दो (02) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।** प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के दो रंगीन फोटोग्राफ, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही जन्म तिथि लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

14.7.1 मतदाता पहचान-पत्र,
14.7.2 ड्राइविंग लाइसेंस,
14.7.3 पैन कार्ड,
14.7.4 पासपोर्ट,
14.7.5 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,
14.7.6 नियोक्ता पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
14.7.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा मुक्ति पंजिका
14.7.8 केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र

14.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्मतिथि के प्रमाण में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.9 **पैरा 7.1, 7.2 और 7.3** के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजन/ दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी यथा-विनिर्दिष्ट मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के

पहचान-पत्र की फोटोकॉपी लानी होगी। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

14.11 धुंधली फोटो और/या अत्यधिक छोटे हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तथापि, जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण अपनाया है, उनके आवेदन इस आधार पर निरस्त नहीं किए जाएंगे।

15. <u>पद वरीयताएं</u> :

15.1 यह परीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कई पदों के लिए आयोजित की जा रही हैं। अनंतिम आवंटन का प्रथम चक्र (एफआरटीए) का परिणाम घोषित होने से पहले अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प के ज़रिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता ली जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है, तो उस पद और मंत्रालय/विभाग के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इसे बदला नहीं जाएगा। **इसलिए, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए।**

15.2 अभ्यर्थियों द्वारा एक बार चुने गए विकल्प/वरीयता को **अंतिम और अपरिवर्तनीय** माना जाएगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा पद/विभाग को बदलने के लिए किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने किसी भी पद/ विभाग का विकल्प नहीं चुना है तो उसकी योग्यता होने के बावजूद उस पर ऐसे पद के चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपनी पद वरीयताएं देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और बहुत सतर्क रहना चाहिए।

15.3 **जो अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (वरीयताओं) को प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके लिए अनंतिम आवंटन का प्रथम चक्र (एफआरटीए)/परिणाम में किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।** इस संबंध में किसी भी रूप जैसे- डाक, फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

15.4 बीआरओ में अवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु शारीरिक मानक, शारीरिक क्षमता परीक्षण और चिकित्सीय मानकों की अपेक्षाएं **अनुबंध -XVI** में दी गई हैं। अभ्यर्थियों को बीआरओ या किसी अन्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पद का चयन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते है जहां उनके लिए ऐसी विशिष्ट अपेक्षाएं अनिवार्य की

गई हैं। अभ्यर्थियों को योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार एक बार पदों का आबंटन होने के पश्चात यदि अभ्यर्थी इन मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उनका विकल्प बदला नहीं जाएगा।

16. <u>**दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)**</u> **:**

16.1 **अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों द्वारा किया जाएगा।**

16.2 कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार कार्मिकों की भर्ती करता है। प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन में होने वाली कुल रिक्तियों (उर्ध्वाधर और क्षैतिज), पिछली शेष (बैकलॉग) रिक्तियों/विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों और सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को भेज दिए जाते हैं। अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन भेजे गए डोजियर को स्वीकार करेंगे। कोई भी प्रयोक्तामंत्रालय/ विभाग/संगठन क्षैतिज रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर या कि इस आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के डोजियर वापिस नहीं करेगा कि क्षैतिज रिक्ति है परन्तु आयोग द्वारा उस श्रेणी का डोजियर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

16.3 आयोग की नीति के अनुसार, कर्मचारी चयन आयोग अपने द्वारा आयोजित बहुकारक परीक्षाओं के संबंध में प्रतीक्षा सूची/आरक्षित सूची नहीं रखता है। तथापि आयोग ने एक स्लाइडिंग कार्य तंत्र अपनाया है। आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 03.03.2026 और 08.04.2026 को जारी की गई विज्ञप्ति (विज्ञप्तियों) में स्लाइडिंग कार्य तंत्र के अंतर्गत अनंतिम आवंटन का प्रथम चक्र (एफआरटीए) की कार्य प्रणाली स्पष्ट की गई है।

16.4 संबंधित प्राधिकारी(प्राधिकारियों) द्वारा बुलाए जाने पर अभ्यर्थियों को **पैरा सं.14.7** में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी छाया प्रतियों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

16.5 अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नानुसार विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे :

16.5.1 मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाणपत्र

16.5.2 शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र

16.5.3 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।

16.5.4 जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित श्रेणी से हैं।

16.5.5 निर्धारित प्रपत्र में बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

16.5.6 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए :

i. **अनुबंध-VIII** के अनुसार वचन-पत्र।
ii. **अनुबंध-VII** के अनुसार सेवारत रक्षाकर्मी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
iii. सेवा-मुक्ति प्रमाणपत्र, यदि सशस्त्र सेना से सेवा मुक्त हुआ हो।

16.5.7 आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संगत प्रमाण-पत्र।

16.5.8 पहले से सरकार/सरकारी उपक्रमों में कार्यरत के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र।

16.5.9 जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद, शादी या दूसरी शादी या तलाक आदि होने पर नाम बदलने का दावा करता है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

i. महिला की शादी के मामले में : पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पत्नी का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति या शपथ आयुक्त के सामने पति और पत्नी द्वारा लिया गया शपथ ग्रहण संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

ii. महिला की दूसरी शादी के मामले में : पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की प्रतिलिपि जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति या शपथ आयुक्त के सामने पति और पत्नी द्वारा लिया गया शपथ ग्रहण संबंधी संयुक्त फोटो लगा हलफनामा।

iii. महिला के तलाक के मामले में : तलाकनामे की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के सामने विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र

iv. पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में :

शपथ आयुक्त के सामने विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक अखबारों में अखबार की मूल पेपर कटिंग (एक दैनिक अखबार आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

16.5.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16.6 **यह पुन: बताया जाता है कि शैक्षिक योग्यता/जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों से नहीं होती है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

17. चयन का तरीकाः

17.1 टियर-I, और टियर-II परीक्षा के खंड-I, खंड-II और खंड-III में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:-

17.1.1	अना	: 30%
17.1.2	अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	: 25%
17.1.3	अन्य सभी श्रेणियां	: 20%

17.2 अभ्यर्थियों को टियर-I परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर टियर-II परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग योग्यता (मेरिट) और अंतिम चयन के लिए किया जाएगा।

17.3 टियर- I और बाद के स्तरों में अलग-अलग पदों अर्थात (i) पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय में डीईओ / डीईओ ग्रेड 'ए' (ii) पैरा 8.1 पर उल्लिखित विभाग/ मंत्रालय छोड़कर डीईओ / डीईओ ग्रेड 'ए' और (iii) एलडीसी / जेएसए के लिए अलग-अलग श्रेणी-वार कट-ऑफ होंगे।

17.4 टियर-I में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के लिए टियर-II परीक्षा आयोजित की जाएगी। टियर- II में, सभी अभ्यर्थियों को चारों खंडों में उपस्थित होना होगा।

17.5 टियर-II में, अभ्यर्थियों के लिए सभी खंडों में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

17.6 खंड-III और खंड-IV अर्थात् कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा और कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा अर्हक प्रकृति की हैं। डीईओ के लिए कौशल परीक्षा सभी अर्हक अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। **पैरा 13.9.13.7 (vii)** के अनुसार, टंकण परीक्षा में उपस्थित होने से छूट पाने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर, डीईओ से इतर अन्य पदों के लिए टंकण परीक्षा अनिवार्य है ।

17.7 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए वरीयता एफआरटीए /अंतिम परिणाम की घोषणा से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के माध्यम से ली जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अपनी वरीयता नहीं दी है तो उस पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए उस (अभ्यर्थी) पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इसे बदला नहीं जाएगा। **इसलिए, अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों का चयन करने में अवश्य सावधानी बरतनी चाहिए।**

17.8 **जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (वरीयताओं) को प्रस्तुत नहीं करते हैं, एफआरटीए /अंतिम परिणाम में उन पर किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता का प्रयोग करने का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और इसके लिए वे स्वयं पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।** इस संबंध में किसी भी रूप, जैसे- डाक, फैक्स, ई-मेल, दस्ती आदि के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17.9 **मेरिट सूची (एफआरटीए /अंतिम चयन) केवल टियर-II परीक्षा में अभ्यर्थियों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।** आयोग द्वारा निर्धारित अर्हक मानकों के अनुसार, केवल टियर- II के खंड-

III और खंड-IV में अर्हताप्राप्त करने के अध्यधीन टियर- II परीक्षा के खंड -I एवं खंड-II में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची **(एफआरटीए /अंतिम चयन)** तैयार की जाएगी।

17.10 प्रत्येक श्रेणी में, अभ्यर्थियों का एफआरटीए /अंतिम चयन, 'टियर-II परीक्षा में समग्र प्रदर्शन' और उनके द्वारा दी गई 'पद की वरीयता' के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को, उसकी मेरिट के अनुसार, प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद, उसके नाम पर किसी अन्य विकल्प के लिए विचार नहीं किया जाएगा। **इसलिए, अभ्यर्थियों को बहुत सावधानी से पद संबंधी वरीयता देनी होगी**। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार चुने गए विकल्प/वरीयता को **अंतिम** और **अपरिवर्तनीय** माना जाएगा। तत्पश्चात, अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन/सेवा में परिवर्तन करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में / कारण से विचार नहीं किया जाएगा।

17.11 पदों का अंतिम आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों/विभागों की की योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर किया जाता है और एक बार पद आवंटित होने के पश्चात, किसी पद के लिए शारीरिक/चिकित्सीय/शैक्षणिक मानकों से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी है तथा उस पद के लिए उसका चयन किया जाता है और उस स्थिति में यदि वह उस पद के लिए चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उस पर अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा और आयोग द्वारा इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

17.12 अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै, और बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणियों के वे अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य रिक्तियों अथवा उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव, आकव, भूपूसै, और बेंचमार्क दिव्यांगजन अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।

17.13 जहां तक भूतपूर्व सैनिक के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार, बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

17.14 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी मेरिट के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त चिह्नित किया गया हो।

17.15 परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

17.16 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनंतिम होगा। परीक्षा से पहले अथवा बाद में, किसी भी समय यदि जांच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

17.17 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे और परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उसके पद पर स्थायी किया जाएगा।

17.18 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

17.19 अंतिम चयन पर अभ्यर्थी को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय संगठन/ कार्यालय द्वारा कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अंचल आवंटित किया जा सकता हैं। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित पद पर संबन्धित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/ संगठन द्वारा स्थायी किए जाने हेतु उस आवंटित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अंचल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की जरूरत पड़ सकती हैं।

17.20 यदि परीक्षा के किसी भी टियर/चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण (उसके द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अलावा) से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

17.21 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता संगठन/ कार्यालय से परिणाम घोषित किए जाने से छह माह की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है / करती है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

18. **<u>बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा:</u>** टियर-II परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी के मामले में योग्यता का निर्णय, जब तक कि बराबरी (टाई) का निपटान न हो जाए, निम्नलिखित मानदंडों को एक के बाद दूसरे को अपनाते हुए किया जाएगा,

18.1 टियर-II परीक्षा के खंड-I में प्राप्त अंक।

18.2 टियर-I परीक्षा प्राप्त अंक।

18.3 जन्मतिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।

19. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :

19.1 आयोग परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फ़ोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन और सीसीटीवी फुटेज पुनर्विलोकन के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है ।आयोग की नीति के अनुसार, परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करना और भविष्य की परीक्षाओं से वारित करना शामिल है।

19.2 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	**कदाचार का प्रकार**	**वारित अवधि**
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश-पत्र की आयोग की प्रति आदि बाहर ले जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	01-02 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें किसी भी तरीके से भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	03 वर्ष
5	जानबूझकर गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित तरीकों से समर्थन/प्रभाव लेना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाइ कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखना।	03-05 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना या परीक्षा देना।	02-05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को भी देख रहा हो।	03 वर्ष
10	जानबूझकर परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश पत्र, पहचान-पत्र आदि से परीक्षा में बैठना या परीक्षा देना।	03-05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें	07 वर्ष

	शारीरिक हानि पहुंचाना।	
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे-अनधिकृत स्रोतों से नकल करना या कागज या शारीरिक अंगों पर लिखित सामग्री आदि ।	07 वर्ष
14	प्रतिरूपण /किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण कराना।	07 वर्ष
15	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	अभ्यर्थी द्वारा उसी परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में कार्य करना या प्रलिपिक के बारे में झूठी घोषण करना।	03-05 वर्ष
19	अभ्यथी / प्रलिपिक द्वारा उसी परीक्षा 'स्वयं के प्रलिपिक' के रूप में कार्य करना।	03 वर्ष
20	ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रलिपिक की सेवाएं लेना जिसे भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया है।	03 वर्ष
21	परीक्षा के दौरान यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्रलिपिक स्वयं ही उत्तर लिख रहा है या प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तरीके से अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए इशारा कर रहा है।	07 वर्ष
22	वह अभ्यर्थी जो एक ही फोटो और अलग-अलग व्यक्तिगत विवरणों जैसे- नाम, माता / पिता का नाम, जन्म तिथि आदि अथवा विलोमत: रूप से विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर रहा है	01-05 वर्ष
23	अभ्यर्थी के लिए प्रलिपिक के रूप में उपस्थित होने वाले प्रतिरूपणकर्ता (कर्मचारी चयन आयोग के रिकार्ड के अनुसार)।	07 वर्ष
24	कर्मचारी चयन आयोग की एक ही परीक्षा में प्रलिपिक द्वारा एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठना अथवा अभ्यर्थी द्वारा एसे प्रलिपिक की सेवा लेना ।	05-07 वर्ष
25	कर्मचारी चयन आयोग की एक ही परीक्षा में प्रलिपिक द्वारा एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में बैठना अथवा अभ्यर्थी द्वारा एसे प्रलिपिक की सेवा लेना।	05-07 वर्ष
26	परीक्षा के दौरान दूसरे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के कंप्यूटर में झांकना, बातचीत / संपर्क करना।	01-03 वर्ष

नोट : ऊपर उल्लिखित कदाचारों की सूची केवल उदाहरण के तौर पर दी गई है तथा यह परिपूर्ण नहीं है । आयोग किसी भी अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार रखता है यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे आचरण में लिप्त पाया जाता है जिसे आयोग द्वारा 'कदाचार' माना गया है।

19.3 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है और आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

20. **<u>आयोग का निर्णय अंतिम :</u>** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा (परीक्षाओं) के आयोजन, परीक्षा केंद्रों के आवंटन, मेरिट सूची को तैयार करने एवं पद आवंटन, कदाचार में संलिप्त होने के लिए वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध किसी पूछताछ/ पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

21. **<u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार:</u>** इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय / न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्यायक्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, जहां से अभ्यर्थी ने परीक्षा (परीक्षाएं) दी है।

22. बेरोजगार अभ्यर्थियों की रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016-स्था(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर अथवा राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग क्रम में उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा : (i) अभ्यर्थी का नाम, (ii) पिता / पति का नाम, (iii) जन्म तिथि, (iv) श्रेणी (सामान्य / अजा / अजजा / अपिव / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / दिव्यांगजन / भू.पू.सै), (v) अभ्यर्थी का लिंग, (vi) शैक्षिक योग्यता, (vii) अर्हक परीक्षा में कुल प्राप्तांक, (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है, (ix) पूरा पता, (x) ई-मेल पता। तथापि अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा । तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंक आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने आयोग/ एनसीएस की वेबसाइट पर उपरोक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

23. **<u>अयोग्यताएं:</u>** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है। बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

24. **<u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:</u>**

(क)	**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

(ख)	**अभ्यर्थियों को अपने हित में ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से काफी पहले जमा करना चाहिए तथा अंतिम दिन तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन एसएससी की वेसाइट पर संपर्क न होने / लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचा जा सके ।**
(ग)	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं और नई वेबसाइट (अर्थात https://ssc.gov.in) पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नहीं किया है, उन्हें पहले की तरह ही एकबारगी पंजीकरण करना होगा क्योंकि पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर पहले किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा । ओटीआर के बाद अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं । नई वेबसाइट पर ओटीआर तैयार होने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा । ओटीआर के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-।।।** में दिए गए हैं
(घ)	वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा । वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज। (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड। (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश। (iv) फोटो। (v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र। नोटः- दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) अभ्यर्थियों के संबंध में, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने के चरण में आधार फेस प्रमाणीकरण से छूट दी गई है। यह छूट दृ.दि. अभ्यर्थियों की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल आधारित ऐप के माध्यम से फेशियल रिकग्निशन की प्रक्रिया पूरी करने में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इसके बजाय, ऐसे अभ्यर्थियों को आधार ओटीपी प्रमाणीकरण जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल कर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाएगी । तदनुसार, दृ.दि. अभ्यर्थियों को अनिवार्य फेस प्रमाणीकरण के बिना आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति होगी। तथापि, अभ्यर्थिता की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने और परीक्षा की अखंडता बनाए रखने के लिए, परीक्षा में शामिल होने के समय दृ.दि. अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा।
(ड.)	कर्मचारी चयन आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, शारीरिक व

	चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को अवश्य पढ़ लें और स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के दौरान मांगकर्ता प्रयोक्ता मंत्रालयों/ विभागों / संगठनो द्वारा उनकी शैक्षिक योग्यताओं और जाति / श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाणपत्र / दस्तावेज मांगे जाएंगे । परिणाम की घोषणा के उपरांत प्रयोक्ता विभागों द्वारा शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उन्हें आयोग अथवा मांगकर्ता प्रयोक्ता विभाग / संगठन द्वारा मांगे जाने पर अपनी शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी आदि के प्रामणपत्र /दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। शैक्षिक योग्यता / जाति / श्रेणी आदि के प्रमाणपत्र / दस्तावेज की जांच करने के पश्चात यदि आवेदन में किया गया कोई दावा सही नहीं पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
(च)	अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/ बेंचमार्क दिव्यांगजन और भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारत पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(छ)	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांगजन माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयु में छूट/ आरक्षण के हकदार होंगे ।
(ज)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषय-वस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी । अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट भेजने की जरूरत नहीं है।
(झ)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है ।
(ञ)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन पत्र में सुधार हेतु विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(ट)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 3 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाईन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार / परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनःजमा करने की अनुमति दी जाएगी। इस सुविधा का लाभ परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-11 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदन (आवेदनों) को रद्द कर दिया जाएगा।
(ठ)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को

	यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने **या** 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
(ड)	अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम तथा माता का नाम ठीक वैसा ही लिखें जैसे उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है। अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग/ प्रयोक्ता विभाग के ध्यान में जब कभी भी आने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
(ढ)	अनुपयुक्त फोटो या हस्ताक्षर धुंधले / लघु हस्ताक्षरों वाले आवेदन, जो निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, उन्हें सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(ण)	आवेदन करने के लिए, अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी और बिना चश्मा के हो और सामने का चेहरा पूरा दिखाई दे। यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुन: खींच लें। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खिंचनी चाहिए । ऐसे सभी आवेदन जिसमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, रद्द कर दिए जाएंगे । परीक्षा में अभ्यर्थी का रंग-रूप वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि आवेदनपत्र में उसका फोटो लगा है । तथापि, जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है, उनके आवेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को एप्लिकेशन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें । 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है । 3. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें । 4. सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा सीमांकित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से है और यह न तो बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। इसे क्षेत्र को पूरी तरह से कवर करना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयत के बाहर नहीं होना चाहिए। 5. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। 6. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।

(त)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर दें क्योंकि आयोग द्वारा एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है। बाद में, मोबाइल और ई मेल आई डी बदलने से संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचना भेजने के प्रयास किए जाते हैं, तथापि आयोग एसएमएस / ई-मेल / डाक आदि के माध्यम से भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं / चरणों / तारीखों के बारे में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। अभ्यर्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट सूचना का प्राथमिक स्रोत है और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर किसी राहत का दावा नहीं कर सकता है कि उसे किसी प्रक्रिया के बारे में ई-मेल / एसएमएस आदि के माध्यम से सूचित नहीं किया गया है। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में अद्यतित रहने के लिए नियमित रूप से आयोग / संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट देखते रहें।
(थ)	परीक्षाओं के दौरान लोगों द्वारा प्रतिरूपित अभ्यर्थी बनने की कोशिश करने के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि आवेदन पत्र भरने के दौरान फोटोग्राफ लाइव लिया गया है, आवेदन पत्र में लगी फोटो और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी के रंग-रूप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनका रंग-रूप आवेदन पत्र में फोटो के अनुसार हो। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खिंचनी चाहिए। ऐसे सभी आवेदन जिसमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, रद्द कर दिए जाएंगे । तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
(द)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य,जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/ विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भू.पू.सै. सेवामुक्ति पुस्तिका, या केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा- 14.7 के अनुसार) लाना चाहिए। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि, आधार बेस प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे। बेंचमार्क दिव्यांगजन / दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो **पैरा 7.1, 7.2 और 7.3** के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें इनमें यथा निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र/ वचनपत्र/ प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी।
(ध)	एफआरटीए /अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन विकल्प प्रपत्र के जरिए अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए प्राथमिकता ली जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने पद और मंत्रालय/ विभाग /संगठन के लिए अपनी वरीयता नहीं दर्शाई है, तो उस अभ्यर्थी को उस पद और मंत्रालय/ विभाग /संगठन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एक बार दिए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में इन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को ऐसे विकल्पों को देते

	समय अवश्य सावधानी बरतनी चाहिए। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपनी पद वरीयता (वरीयताएं) प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन पर एफआरटीए / अंतिम परिणाम में किसी भी पद हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पदों के लिए वरीयता देने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और वे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
(न)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(प)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(फ)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/चरणमें कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण (उनके द्वारा विकल्प के प्रयोग के अतिरिक्त) से तदंतर चरण/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए ।
(ब)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से छह माह के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/संगठन से संपर्क करना चाहिए।
(भ)	ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को एप्लिकेशन मॉड्यूल का उपयोग करके अपनी फोटो खींचनी होगी और पहले से मौजूद स्वयं की तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए । फोटो बिना टोपी और बिना चश्मे के होनी चाहिए। चेहरे का सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रारूप में फोटो नहीं खींची गई है, तो उसका आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। । तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे ।
(म)	आवेदनपत्र के अंत में घोषणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है । घोषणा पर सहमत होने / हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को भरे गए आवेदन विवरण और घोषणा की सामग्री को देख लेना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही इस पर सहमत होना/ हस्ताक्षर करना चाहिए कि प्रस्तुत जानकारी सही है। किसी भी तथ्य को छिपाने/ गलत बयानी करने / गलत घोषणा करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।
(य)	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तिथि, रिक्तियों की स्थिति आदि से संबंधित सूचना के बारे में अद्यतन जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट अर्थात https://ssc.gov.in और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें ।
(र)	आवेदन भरने/जमा करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्प लाइन से संपर्क कर सकते हैं: (i) हेल्प डेस्क क.च.आ. (मुख्यालय) 1800 309 3063 (ii) क.च.आ. (म.क्षे.), प्रयागराज 0532 2460511, 0532 6541021 (iii) क.च.आ. (पू.क्षे.), कोलकाता 09477461228, 033 22902230

	(iv) क.च.आ. (के.क.क्षे.), बेंगलुरू 080 25502520, 09483862020
	(v) क.च.आ. (म.प्र.क्षे.), रायपुर 0771 2282507, 0771 2282678
	(vi) क.च.आ. (उ.पू.क्षे.), गुवाहाटी 09085073593, 09085015252
	(vii) क.च.आ. (उ.क्षे.), नई दिल्ली 011 24363343
	(viii) क.च.आ. (पश्चिमोत्तर क्षेत्र), चंडीगढ़ 0172 2749378, 0172 2744366
	(ix) क.च.आ. (द.क्षे.), चेन्नई 09445195946, 044 28251139
	(x) क.च.आ. (प.क्षे.), मुंबई 09869730700, 07738422705

अवर सचिव, भारत सरकार

कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

दिनांक 07.09.2026

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा- उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी : संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

<u>अनुबंध-Iक</u>

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/ सुश्री / श्रीमती ....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र / सुपुत्री ...., निवासी ....(ग्राम / डाकघर / थाना / जिला / राज्य), आयु .... वर्ष, ... (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है ।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड _______________(नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ____________ (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम))	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्साअधिकारी .... अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं .... (दिव्यांगता का स्वरूप) .... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..................... (जिले का नाम) .... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) .... में स्थित ....(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक .... है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

मै सूचित करता/करती हूं कि श्री/ सुश्री/ श्रीमती... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं वचन देता/ देती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

अनुबंध-IIक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र।

मैं ______________________, ____________________ (दिव्यांगता / स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, ____________________________जिला,................................ (राज्य का नाम) में स्थित ....(केंद्र का नाम),से _______________________________(परीक्षा का नाम) में बैठ रहा हूं, जिसका रोल नंबर ___________ है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

2. मैं एतद्द्वारा व्यक्त करता हूं कि _____________________________ (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता __________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

<u>**अनुबंध-III**</u>

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

(क) एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) ।
(ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना ।

भाग -क (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक-बारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए **निर्देशों को ध्यान से पढ़ें**।

2. **वर्तमान परीक्षा के लिए आधार पर आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है । परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा । वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्‌वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे**

3. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:

   क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   ग. आधार कार्ड संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध **नहीं है**, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से कोई एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज़ को उपलब्ध कराना होगा ।)
      i. मतदाता पहचान पत्र
      ii. पैन
      iii. पासपोर्ट
      iv. ड्राइविंग लाइसेंस
      v. स्कूल/कॉलेज पहचान पत्र
      vi. नियोक्ता पहचान पत्र (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
   घ. परीक्षा बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
   ङ. दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

4. एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) के लिए, http://ssc.gov.in पर दिए गए 'Login or Register' बटन पर क्लिक करें।

5. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

क. व्यक्तिगत विवरण
ख. पासवर्ड बनाना
ग. अतिरिक्त विवरण
घ. घोषणा।

6. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (क्षेत्र) मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में प्रदर्शित किया जाएगा।

ख. **क्रम संख्या- 1: आधार संख्या** के बारे मे **जानकारी प्रदान करें ।** यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) **नाम के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) **जन्म तिथि के प्रमाण हेतु** नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, आधार कार्ड,

(iii) **पते के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फ़ोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेस्मेंट आदेश ।

(iv) **फोटो।**

(v) **लिंग के प्रमाण हेतु** नामतः आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र ।

ग. **क्रम संख्या- 2: अपना** नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ. **क्रम संख्या- 3:** यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख **क्रम संख्या 3क और 3ख** में करें।

ङ. **क्रम संख्या- 4:** अपना लिंग इंगित करें (पुरूष/महिला/ट्रांसजेंडर)।

च. **क्रम संख्या- 5:** अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. **क्रम संख्या- 6:** अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. **क्रम संख्या- 7:** अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. **क्रम संख्या- 8 से क्रम संख्या- 10:** मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. रोल नंबर
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. **क्रम संख्या- 11:** शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. **क्रम संख्या- 12:** आपका मोबाइल नंबर । यह **एक सक्रिय मोबाइल नंबर** होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग आपको संप्रेषित करना चाहता है, केवल इसी मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपके मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाएगा।

ठ. **क्रम संख्या- 13:** आपका ईमेल आईडी । यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा,केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी । यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सेव हो जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. **आपको 14 दिनों के भीतर** पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत संख्या को **यूजर नेम के रूप में** और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड **पासवर्ड** का उपयोग करके लॉगइन करें।

पासवर्ड बनाना

त. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

थ. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

द. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

ध. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

न. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

प. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें । आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

ब. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई बैंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसके बारे में जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त चिह्नित किया गया हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

भ. क्रम संख्या- 6 - 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

म. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रीव्यू का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

य. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।

र. 'Declaration' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।

ल. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया **14 दिनों के भीतर** पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

7. आप कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के दिनांक 17.06.2025 की विज्ञप्ति सं.- HQ-IT018/4/2024-IT (E-10517) के अनुसार अपने एक बारगी पंजीकरण विवरण को संपादित/ संशोधित कर सकते हैं । आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है ।

8. **आपको पुनः सलाह दी जाती है कि आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसे ही भरें जाएं जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

एकबारगी पंजीकरण के नमूने

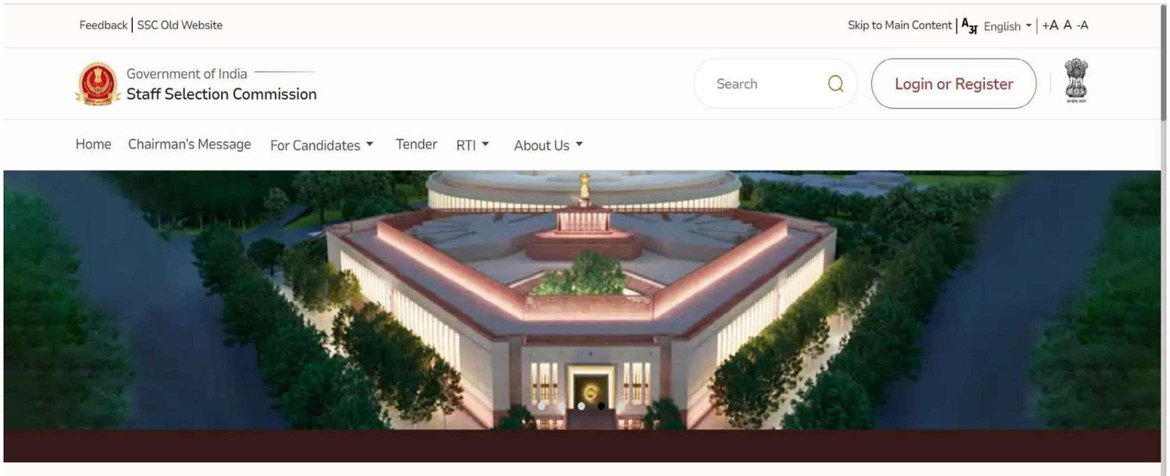

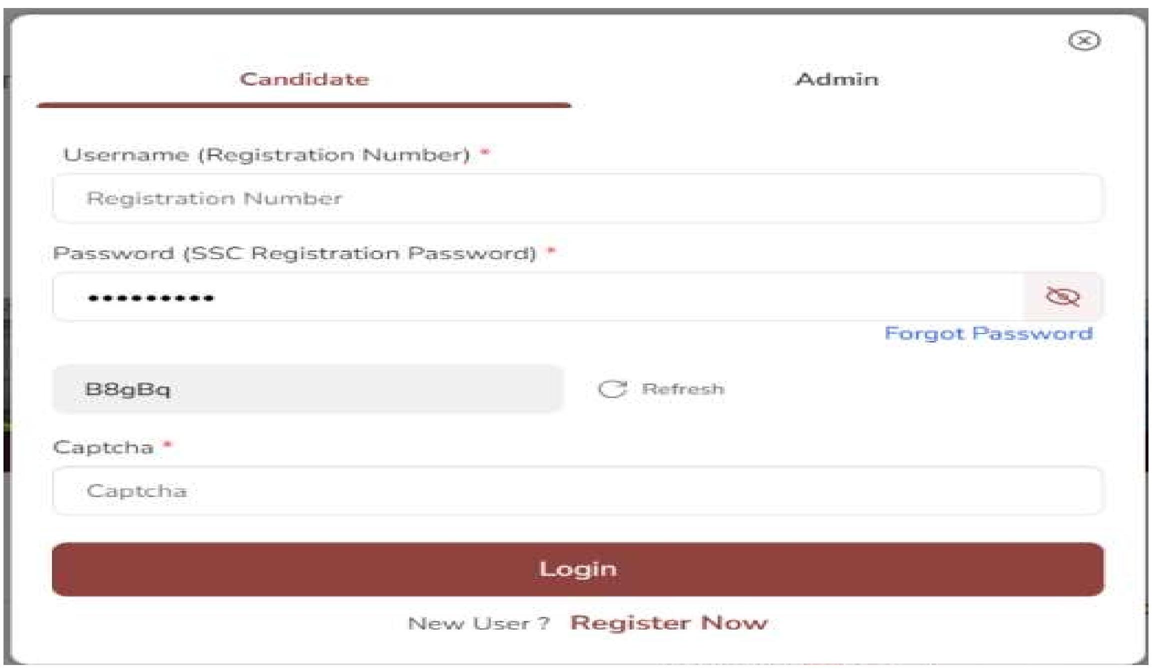

एक बारगी पंजीकरण का प्रवाह

पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 'Login or Register' पर क्लिक करें।

'Login or Register' पर क्लिक करने के पश्चात, एक छोटा विंडो दिखाई देगा। इस विंडो में, नीचे 'Register Now' पर क्लिक करें। उसके पश्चात आप 'One-Time Registration' पृष्ठ पर जा सकेंगे।

एक बारगी पंजीकरण पृष्ठः

होम पृष्ठ पर आपको एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र भरने के लिए उपलब्ध चरणों का अनुसरण करना होगा। आगे बढ़ने के लिए 'Continue' पर क्लिक करें और व्यक्तिगत विवरण स्क्रीन पर पहुंचे।

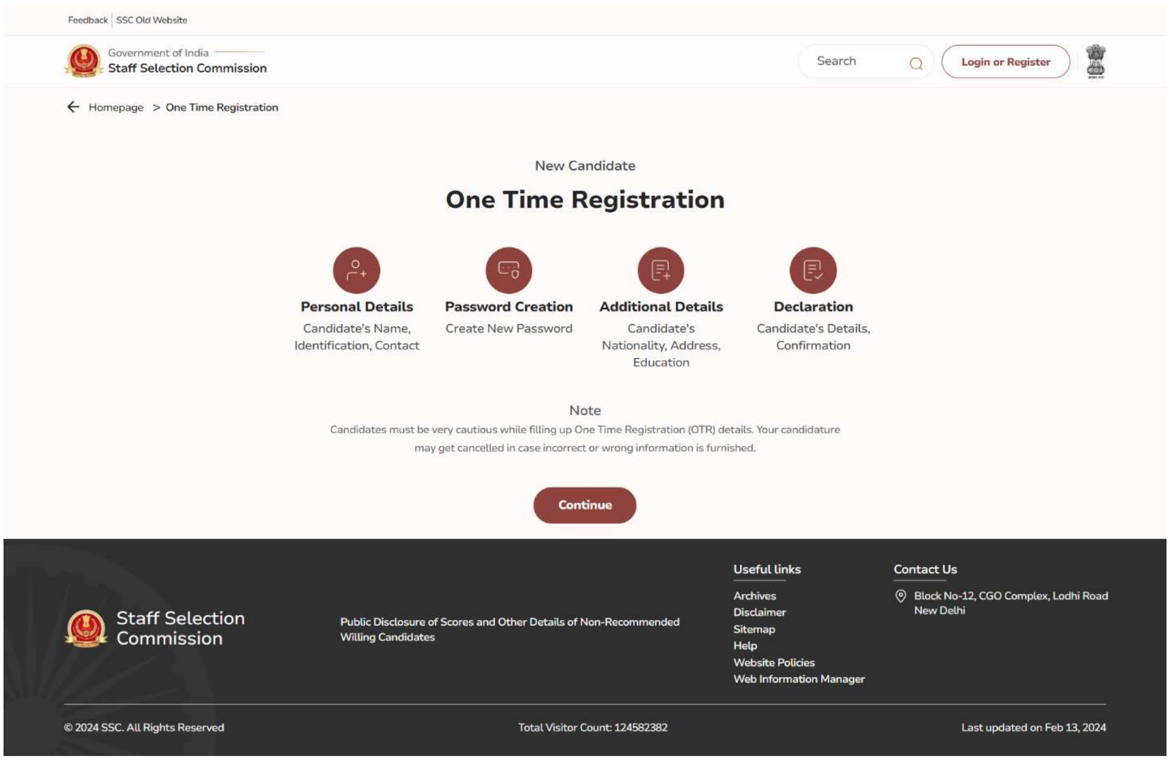

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
( ) Yes ( ) No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *

e.g. 526262627262

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.

a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *

eg. 526262627262

I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
( ) Yes ( ) No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search | Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *
○ Yes ● No

1.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)
Choose File No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)
Choose File No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)
Choose File No file chosen

Please Upload Photo
Choose File No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)
Choose File No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *
○ Yes ● No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *
Select

a. Verify Gender *
Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *
dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
2. Please enter name without any salutation (i.e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *
Select
Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *
Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.
(2) Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s).
(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *
Select

a. Verify Year of Passing *
Select

11. Highest Level of Education Qualification *
Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *
Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

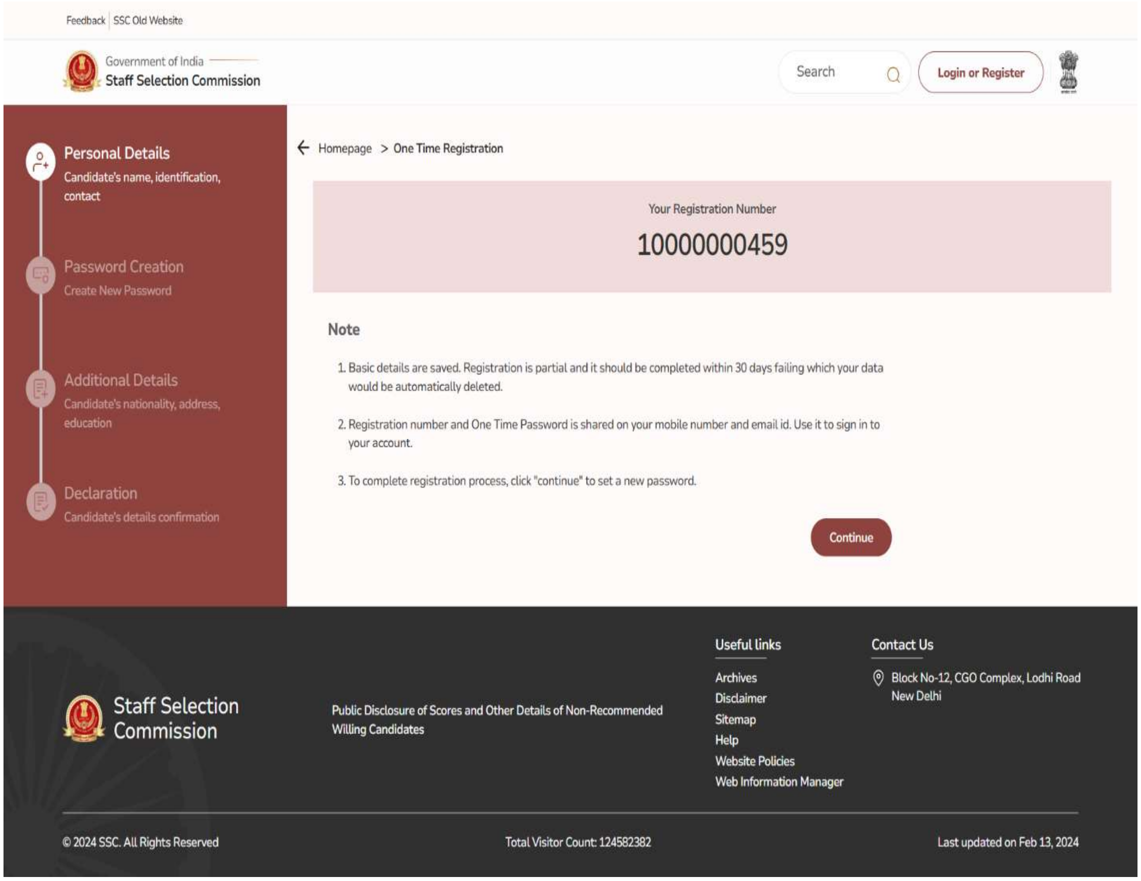

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

Your Registration Number

10000000459

Note

1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.

Continue

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Dear Candidate, This is Your First Login !

Please Set a New Password

Registration Number *

10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # $ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *

Select

Answer *

Security Question: 2 *

Select

Answer *

Reset Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Additional Details

1. Category *
EWS

a. Verify Category *
EWS

2. Nationality *
Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *
MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *
○ Yes ● No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, Including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *
○ Yes ● No

a. Address *

b. State/UT *
Select

c. District *
Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

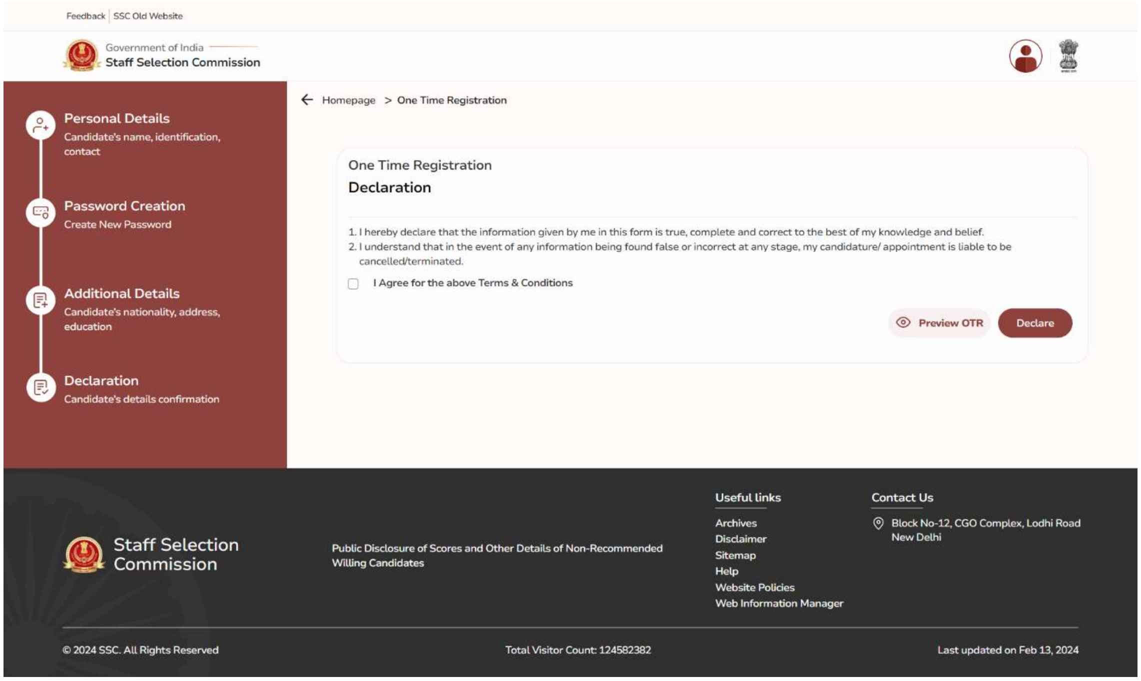
Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.
2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree for the above Terms & Conditions

Preview OTR | Declare

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

<u>अनुबंध-IV</u>

<u>भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)</u>

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा नोट /तैयार रखें:

(क) एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी पहने, बिना चश्मे के हो और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। **स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं ।** यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह पुनः फोटो खींचे। आवेदन जिसमें फोटो स्वीकृत नमूने के अनुरूप नहीं हैं, रद्द किए जा सकते हैं । परीक्षा में अभ्यर्थियों की रूप-रंग आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

(i) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।
(ii) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।
(iii) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे देखें ।
(iv) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी कैमरे के माध्यम से अपनी फोटो खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाईल डिवाइस के माध्यम से फोटो खींचने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर ऐप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए Upload Documents के क्रम सं.1 में दिए गए क्यूआर(QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने या बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग साफ दिखाई देना चाहिए। आवेदन जिसमें फोटो स्वीकार्य नमूने **अनुबंध-V)** के अनुरूप नहीं हैं, रद्द किए जा सकते हैं । स्वीकार्य /अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-V** में दिए गए हैं ।

(ख) जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी) । हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **<u>अपठनीय/ धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे ।</u>**

(ग) अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण जैसे- उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत/सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम आदि का विवरण।

2. अपनी '**पंजीकरण संख्या' और** 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. "नवीनतम सूचना" टैब के अंतर्गत खंड '**Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination 2026**' में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।

4. **क्रम संख्या 1 से 18** के कॉलमों में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एक बारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। **तथापि, यदि आप एक बारगी पंजीकरण डाटा**

में संशोधन करना चाहते हैं तो डैशबोर्ड के बाएं शीर्ष कोने पर दिए गए 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें।

5. क्रम संख्या-19: कृपया अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें ।

6. क्रम संख्या-20: कृपया अपनी 'अर्हक' शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें ।

7. क्रम संख्या-21: यदि आप सशस्त्र सेना में कार्यरत या एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें 'No' विकल्प चुनना चाहिए ।

8. क्रम संख्या- 22: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो कृपया उपयुक्त आयु-छूट श्रेणी का चयन करें।

9. क्रम संख्या- 23: कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा सं.: 21 देखें और तदनुसार भरें ।

10. क्रम संख्या- 24: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप उसी क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों के लिए विकल्प वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-12 देखें।

11. क्रम संख्या-25.1: सूचना प्रदान करें कि क्या आप दृष्टिहीनता (दृ.दि.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं । क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन - अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा । क्रम सं. 27.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/ प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत दृ.दि. (दृष्टिहीनता /अल्प दृ.) के साथ बहु दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 7.1 देखें।

12. क्रम संख्या-25.2: सूचना प्रदान करें कि क्या आप, अस्थि दिव्यांग- दोनों बांह प्रभावित (अ.दि.- दो.बा.) अथवा अस्थि दिव्यांगता- प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (अ.दि.- प्र.प.) की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांग (40 प्रतिशत या उससे अधिक) हैं या नहीं । क्रम सं. 9.1 के अनुसार यह विकल्प केवल बेंचमार्क दिव्यांजन - अ.दि. और बेंचमार्क दिव्यांजन - अन्य अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा । क्रम सं. 27.1 में 'Yes' का चयन करने वाले अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे , तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय कम से कम 40 प्रतिशत अ.दि.- दो.बा. अथवा अ.दि.- प्र.प. दिव्यांगता के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.1 का संदर्भ लें।

13. क्रम संख्या-25.3: परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 7.2 अथवा 7.3 के अनुसार इंगित करें कि क्या आपको लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और आपकी तरफ से लिखने के लिए प्रलिपिक की आवश्यकता है । यह विकल्प उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा जो क्रम सं. 9.1 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांजन- दृ.दि. अभ्यर्थी हैं अथवा जिन्होंने क्रम सं. 25.1 या 25.2 में 'Yes' का चयन किया हो । यह विकल्प सभी अन्य बेंचमार्क दिव्यांजन तथा गैर-बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा । क्रम सं. 9 के अनुसार, क्रम सं. 25.3 में 'Yes' का चयन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को

परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-I के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । क्रम सं. 9 के अनुसार, गैर- बेंचमार्क दिव्यांजन अभ्यर्थी (*अर्थात* 40 प्रतिशत कम दिव्यांगता वाले) जिन्होंने क्रम सं. 25.3 में 'Yes' का चयन किया है, प्रलिपिक/प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे, तथापि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, परीक्षा विज्ञप्ति के अनुबंध-Iक के प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-7.2 और 7.3 देखें।

14. क्रम संख्या- 25.4: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-7 के अनुसार प्रलिपिक/सहायक तकनीक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें। यह विकल्प केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिन्होंने क्रम सं. 25.1 अथवा 25.2 या 25.3 में 'Yes' का चयन किया हो ।

15. क्रम संख्या-26: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) के लिए माध्यम चुनें । परीक्षा के लिए भाषाओं की सूची परीक्षा विज्ञप्ति के **अनुबंध-XV** में दी गई हैं ।

16. क्रम संख्या-27: टंकण परीक्षा का माध्यम चुनें।

17. क्रम संख्या- 26: यदि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं या समकक्ष कक्षा विज्ञान शाखा (स्ट्रीम), जिसमें गणित एक विषय के रूप में लिया गया हो, उत्तीर्ण की है तो 'Yes' क्लिक करें अन्यथा 'No' क्लिक करें।

18. **उपर्युक्त क्र. सं. 1-क में उल्लिखितानुसार बिना टोपी/ चश्मे के अपनी लाइव फोटो अपलोड करें। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। स्वीकार्य/अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं । अभ्यर्थी उसका संदर्भ लें ।**

19. उपर्युक्त क्र. सं.-1ख में उल्लिखितानुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

20. आवेदन का पूर्वावलोकन करते समय, कृपया जांच करें कि आपके द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं एवं उल्लिखित विज्ञप्ति में विभिन्न स्थानों पर फोटो / हस्ताक्षर से संबंधित दिए निर्देशों का विधिवत पालन हो रहा है और आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करें ।

21. "I Agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा पूरी करें।

22. जैसाकि पूर्वावलोकन में प्रदर्शित है अपने आवेदन में भरे गए विवरण/डाटा की शुद्धता के सत्यापन पर 'Submit Application' के साथ आगे बढ़ें ।

23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

24. शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा,मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

25. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 10 का संदर्भ लें।

26. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के पश्चात बुलाए जाने पर, अभ्यर्थी को आयोग में प्रस्तुत करने हेतु एवं स्वयं के रिकार्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अवश्य लेना चाहिए ।

<u>अनुबंध-IV क</u>

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

Application Form

Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2026

Instructions to follow

- Read the notice of examination carefully.
- Please be careful and provide correct details in the application form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself / herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand / sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his /her signature in JPEG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Applications with blurred/miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, MasterCard, Maestro, or RuPay, Debit card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है । आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिजाइन किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए । धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form 〉

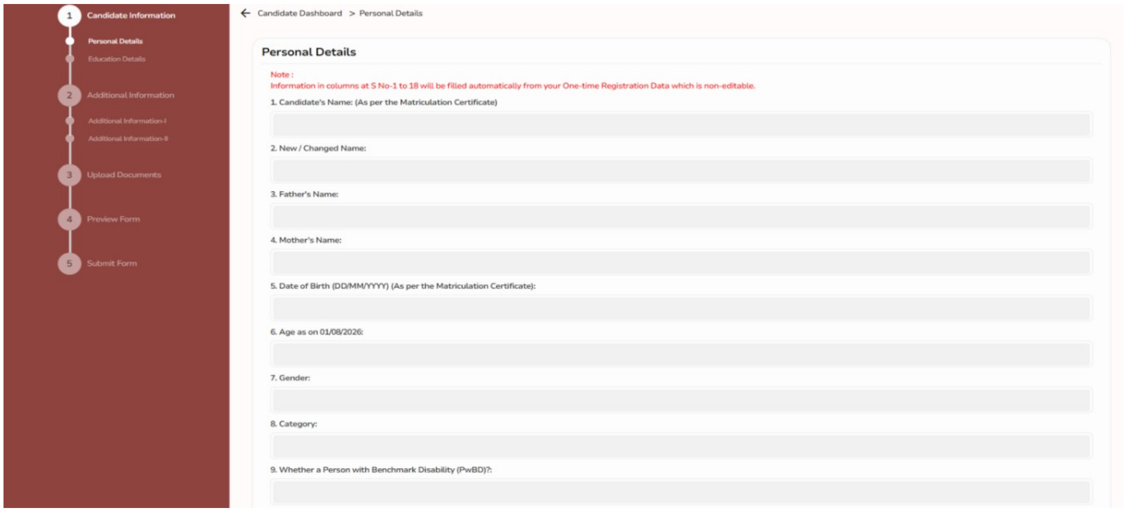

1 Candidate Information

Personal Details

Education Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Personal Details

Personal Details

Note :
Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)

2. New / Changed Name:

3. Father's Name:

4. Mother's Name:

5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):

6. Age as on 01/08/2026:

7. Gender:

8. Category:

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

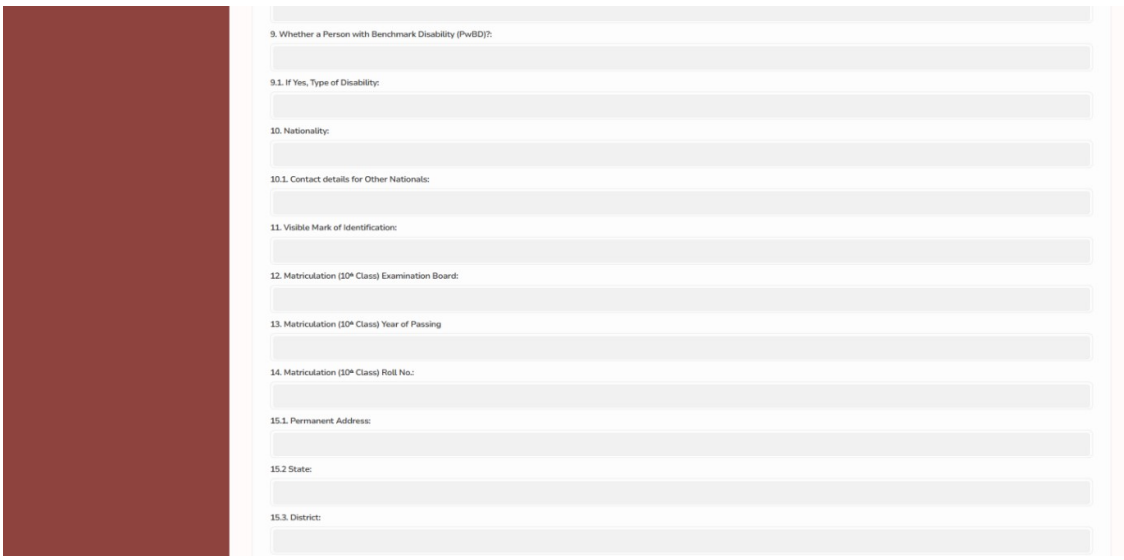

9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD)?:

9.1. If Yes, Type of Disability:

10. Nationality:

10.1. Contact details for Other Nationals:

11. Visible Mark of Identification:

12. Matriculation (10th Class) Examination Board:

13. Matriculation (10th Class) Year of Passing

14. Matriculation (10th Class) Roll No.:

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

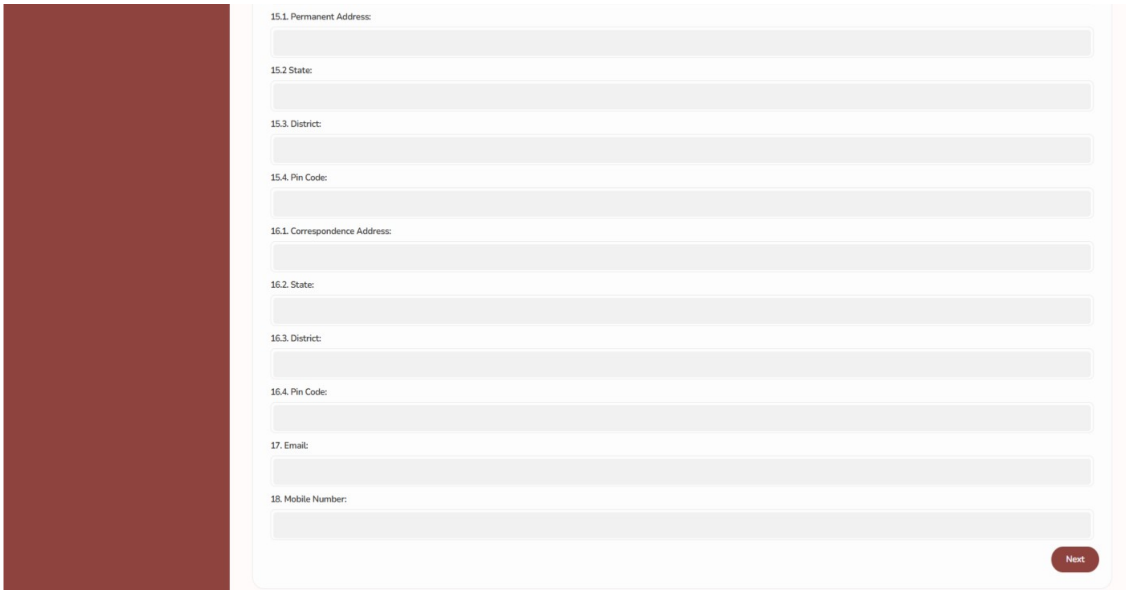

15.1. Permanent Address:

15.2 State:

15.3. District:

15.4. Pin Code:

16.1. Correspondence Address:

16.2. State:

16.3. District:

16.4. Pin Code:

17. Email:

18. Mobile Number:

Next

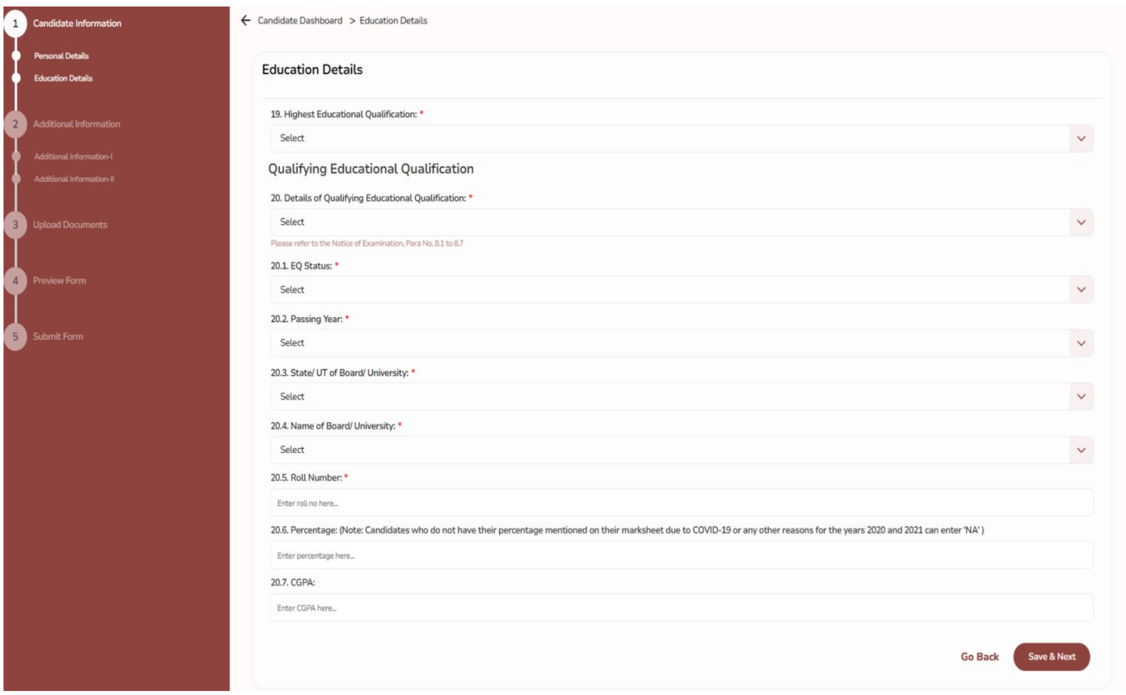

1 Candidate Information

Personal Details

Education Details

2 Additional Information

Additional Information-I

Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Education Details

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *

Select

Qualifying Educational Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 8.1 to 8.7

20.1. EQ Status: *

Select

20.2. Passing Year: *

Select

20.3. State/ UT of Board/ University: *

Select

20.4. Name of Board/ University: *

Select

20.5. Roll Number: *

Enter roll no here...

20.6. Percentage: (Note: Candidates who do not have their percentage mentioned on their marksheet due to COVID-19 or any other reasons for the years 2020 and 2021 can enter 'NA')

Enter percentage here...

20.7. CGPA:

Enter CGPA here...

Go Back Save & Next

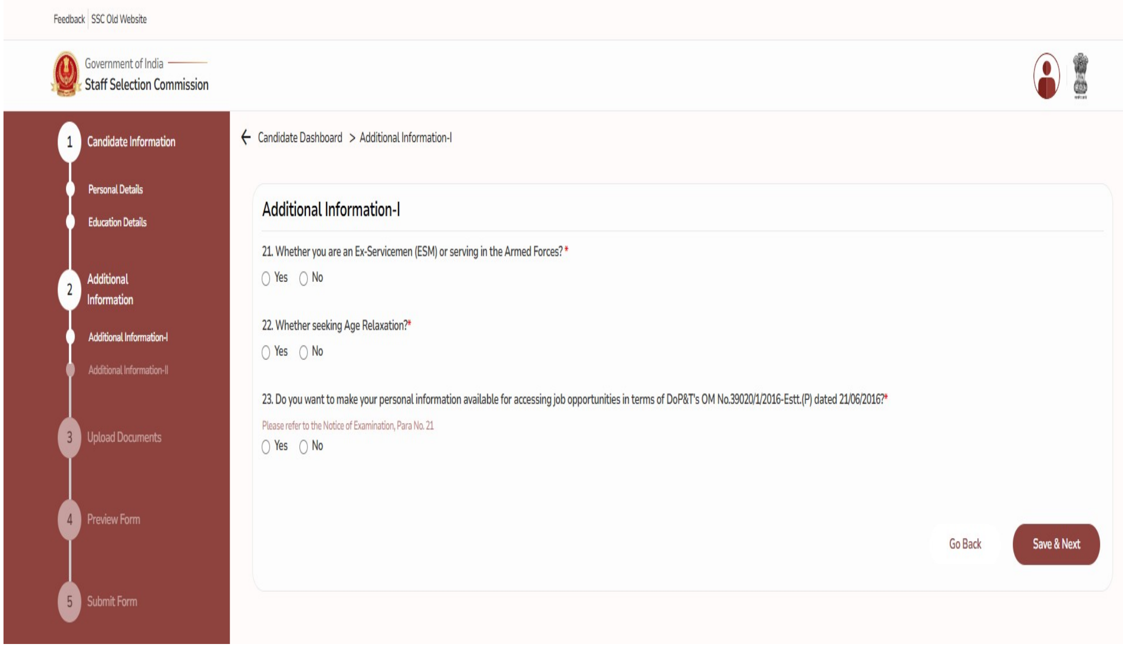

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *
Yes No

22. Whether seeking Age Relaxation?*
Yes No

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016?*
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 21
Yes No

Go Back | Save & Next

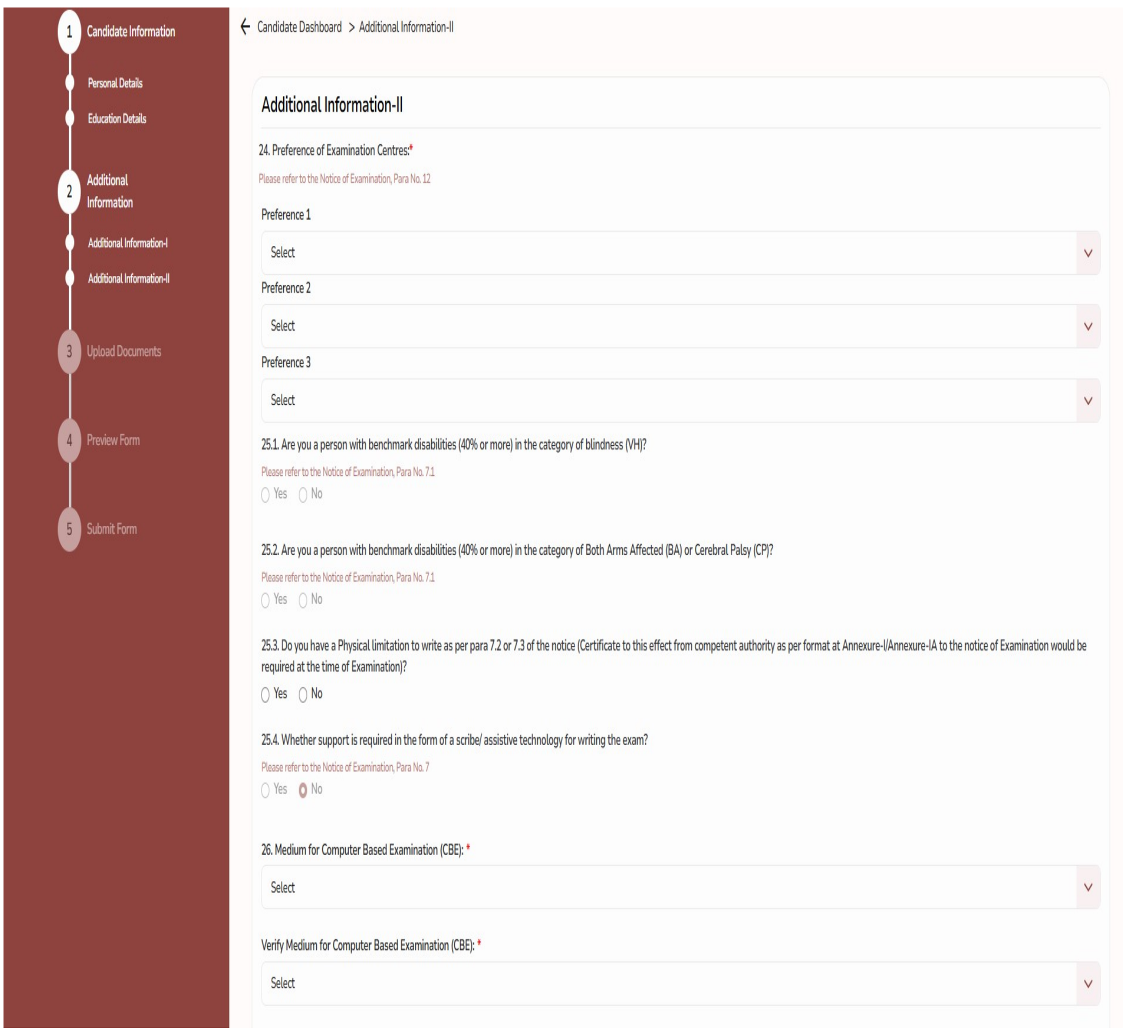

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

24. Preference of Examination Centres:*
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 12

Preference 1
Select

Preference 2
Select

Preference 3
Select

25.1. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of blindness (VH)?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.1
Yes No

25.2. Are you a person with benchmark disabilities (40% or more) in the category of Both Arms Affected (BA) or Cerebral Palsy (CP)?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.1
Yes No

25.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 7.2 or 7.3 of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I/Annexure-IA to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?
Yes No

25.4. Whether support is required in the form of a scribe/ assistive technology for writing the exam?
Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7
Yes No

26. Medium for Computer Based Examination (CBE): *
Select

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE): *
Select

25.3. Do you have a Physical limitation to write as per para 7.2 or 7.3 of the notice (Certificate to this effect from competent authority as per format at Annexure-I/Annexure-IA to the notice of Examination would be required at the time of Examination)?

◯ Yes ◯ No

25.4. Whether support is required in the form of a scribe/ assistive technology for writing the exam?

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7

◯ Yes ◉ No

26. Medium for Computer Based Examination (CBE): *

Select

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE): *

Select

27. Medium for Typing Test: *

Select

For candidate opting Hindi as a medium for typing test, only Mangal Font will be allowed.

Verify Medium for Typing Test: *

Select

28. Whether 12th standard pass in Science Stream with Mathematics as a subject from a recognized Board or equivalent (for DEOs in Department/Ministry mentioned at Para 8.1 of the Notice): *

◯ Yes ◯ No

Go Back Save & Next

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below **QR code**

1. Face Authentication Status : Pending

Process to complete Face Authentication:

- Log In to Mobile Application (myssc).
- Go to Dashboard
- Go to My Application.
- Click Continue Button for the respective Examination.
- Go to **Aadhaar Auth Verification** page to complete the Face Authentication.

2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- **Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- **Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.** Click here to read
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

Upload Signature

Go Back | Save & Next

© 2024 SSC. All Rights Reserved

1 Candidate Information
- Personal Details
- Education Details

2 Additional Information
- Additional Information-I
- Additional Information-II

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed / false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature / appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.
3. I agree to authorize SSC to use my Aadhaar data for verification purpose (Verification will be subject to authorization from a competent authority).

☐ I agree

MAwJ7 Refresh

Captcha *

Captcha

Go Back Submit

© 2024 SSC. All Rights Reserved

फोटोग्राफ के नमूने

(क)स्वीकृत

1

(ख)अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने

1	2	3	4
		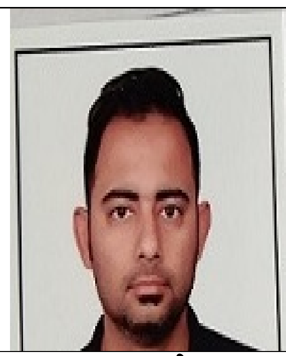	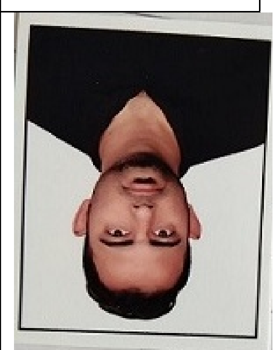
बहुत छोटी	अत्यधिक रंगीन	बहुत नजदीक	उल्टी तस्वीर
5	6	7	8
		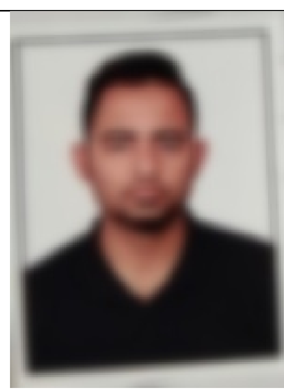	
धूप के चश्मे के साथ	धुंधली फोटो	धुंधली फोटो	धुंधली फोटो
9	10	11	12

अत्यधिक गहरा रंग	**तिरछी दृश्यमान फोटो**	**चश्मे के साथ**	**टोपी के साथ**

<u>अनुबंध-VI</u>

<u>आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी ___________________ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _______________ रू. के वेतनमान में ___________ के पद पर अंतिम तारीख को इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके है।

इस कार्यालय को उनके _________________ परीक्षा 20___________ में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर________________
नाम ________________
कार्यालय की मुहर _____________

स्थानः
दिनांकः
(कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।)*

अनुबंध- VII

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) ______________ (रैंक)________________ (नाम)___________________________ (दिनांक)______________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)
कार्यालय की मुहर

स्थानः

दिनांकः

<u>अनुबंध- VIII</u>

<u>भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली वचन पत्र</u>

मैं ...., अनुक्रमांक.............................…………………………………परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूं और एततद्वारा वचनबद्ध हूं कि :

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों कोअनुमत लाभों का/की हकदार हूं।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ....को .... …………… कार्यालय में ………………………………पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूं कि मैंने अपने वर्तमान नियोक्ता को उपर्युक्त उल्लिखित परीक्षा हेतु आवेदन करने के संबंध में तिथिवार विवरण सहित स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत कर दिया है, जिनके लिए मैंने वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही आरक्षण का लाभ उठा लिया है। मैंने दिनांक ....को .... …………… कार्यालय में ……………………………पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं आयु में छूट पाने के लिए पात्र नहीं हूं;

मैं एततद्वारा घोषणा करता /करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझतीहूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझी जाएगी ।

हस्ताक्षर: ....
नाम: ....………
अनुक्रमांक: ……………….
दिनांक: ....…………
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ....
कार्यमुक्ति की तिथि: ....
अंतिम इकाई / कोर: ....
मोबाइल नंबर: ....……
ई-मेल आईडी:…………………

अनुबंध-IX

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.. पुत्र/पुत्री..निवासी ग्राम/कस्बा* .... जिला/संभाग*.....................................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*................................के .... जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950....................
@संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950............................
@संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*...
@संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*...

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित) आदेश,1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम, 1986, और गोवा, दमन तथा दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962@
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002@

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _________ के पिता/ माता श्री/श्रीमती _________ निवासी _________ग्राम/कस्बा* _________ जिला/संभाग* _________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _________ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _________ दिनांक _________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी...और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*.......................जिला/संभाग*..............................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................में रहता (रहते) है ।

हस्ताक्षर...

**पदनाम _______________________

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान...

दिनांक.................................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

<u>टिप्पणीः</u>- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20 में दिया है ।

<u>**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-</u>

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट+/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
+(प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) ।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

<u>**अनुबंध-X**</u>

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/ पुत्री .... ग्राम/ कस्बा ....जिला/ संभाग ....राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के .... समुदाय से संबंघित हैं जो दिनांक------संकल्प सं.---------- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।*

श्री/श्रीमती/कु०...तथा/या उनका परिवार सामान्यतः ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93-स्था.-(एससीटी), दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004-स्था.-(रेस), दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004-स्था.-(रेस), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008, कार्यालय ज्ञापन सं.36033/1/2013-स्था.-(रेस), दिनांक 27 मई, 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर......................

पद..................................

दिनांकः

मुहर :

---

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

**- समय समय पर यथा संशोधित

$- अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जारी करने वाले के समान होगी।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

फॉर्म -V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(एकल दिव्यांगता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र /यूडीआईडी सं. --------------- जारी करने की तिथि -----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने <आवेदक का नाम> सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री <आवेदक के पिता/ माता/ अभिभावक का नाम>, जन्म तिथि (दि/म/व), लिंग <पुरूष/ महिला/ट्रांसजेन्डर>, पंजीकरण संख्या<यूडीआईडी अनुक्रमांक सं.>, जो मकान <दिव्यांग का पता> के निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं/हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला (निम्नलिखित दिव्यांगता में से कोई एक) का है :

i. गतिविषयक दिव्यांगता
ii. पेशी संबंधी कुपोषण
iii. अभिसाधित कुष्ठ
iv. बौनापन
v. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात
vi. तेजाब हमले के पीड़ित
vii. अल्प दृष्टि
viii. नेत्रहीनता
ix. श्रवण दिव्यांगता
x. वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता
xi. बौद्धिक दिव्यांगता
xii. विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता
xiii. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार
xiv. मानसिक बीमारी
xv. चिरकालिक तांत्रिक संबंधी विकार
xvi. मल्टीपल स्लेरोसिस
xvii. पार्किन्सन बीमारी
xviii. हेमोफिलिया
xix. थेलेसेमिया
xx. सिकल सेल की बीमारी

(ख) शरीर के प्रभावित भाग का नाम :

(ग) उनके मामले में ....निदान किया गया है ।

(घ) उन्हें ______________% (आंकड़ों में)______________प्रतिशत (शब्दों में) दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप [स्थायी/अस्थायी और (दिनांक/माह/वर्ष) तक वैध है] जो कि भारत सरकार द्वारा दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) की <अधिसूचना संख्या> के माध्यम से अधिसूचित 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के तहत शामिल किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता के स्तर का आकलन करने के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है ।

दिव्यांग व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर

प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

<u>अनुबंध- XII</u>

फॉर्म-VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(बहु दिव्यांगता संबंधी मामलों में)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र /यूडीआईडी सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि हमनें <आवेदक का नाम>, सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री <आवेदक के पिता/माता/अभिभावक का नाम>, जन्म तिथि (दि/म/व), लिंग <पुरूष/ महिला/ट्रांसजेन्डर>, पंजीकरण संख्या <यूडीआईडी अनुक्रमांक सं.>, जो मकान <दिव्यांग का पता> के निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और हम संतुष्ट हैं कि:-

(क) उनका मामला **बहु निःशक्तता** का है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/ दिव्यांगता के स्तर का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा दिनांक (दिनांक/माह/वर्ष) को जारी <अधिसूचना सं.> के तहत 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल दिव्यांगताओं हेतु निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है:

क्र. सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	दिव्यांगता प्रतिशत
1.	गति विषयक दिव्यांगता			
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि			
8.	नेत्रहीनता			
9.	श्रवण दिव्यांगता			
10.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
11.	बौद्धिक दिव्यांगता			
12.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
13.	ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार			
14.	मानसिक बीमारी			
15.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
16.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
17.	पार्किन्सन बीमारी			
18.	हेमोफिलिया			
19.	थेलेसेमिया			
20.	सिकल सेल की बीमारी			

(नोट: केवल निदान की गई दिव्यांगताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।)

(ख) उन्हें _______________% (आंकड़ों में) ___________ (शब्दों में) समग्र दिव्यांगता है और प्रमाण पत्र का स्वरूप [स्थायी/अस्थायी और (दिनांक/माह/वर्ष) तक वैध) है।

दिव्यांग व्यक्ति के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर:

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:
प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता:

<u>**अनुबंध-XIII**</u>

<u>टंकण /कौशल परीक्षा में बैठने से छूट चाहने वाले बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. ....सुपुत्र / सुपुत्री/ पत्नी श्री ....,.............................से पीड़ित है।

नैदानिक निदान के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगता है। (उनकी दिव्यांगताओं का संक्षिप्त विवरण)

....

....

यह एक स्थायी विकलांगता है और उसका / उसकी दिव्यांगता, दिव्यांगता की _____% है। इस दिव्यांगता से टंकण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है (विनिर्दिष्ट करें)

-- -- ------------

सिविल सर्जन का हस्ताक्षर:______________________

नाम:______________________

(कार्यालय की मोहर)______________________

स्थान:______________________

दिनांक:______________________

शरीर के प्रभावित अंश को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अभ्यर्थी का फोटोग्राफ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

अनुबंध- XIV

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछ्डे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या_______________ दिनांक __________________

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ___________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी _______________स्थायी निवासी ____________________गाँव/गली ______________ डाकघर ____________________ जिला ____________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ____________________ पिन कोड ___________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी __________________________ का संबंध _______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पदनाम..................................

अभ्यर्थी के हाल ही का पासपोर्ट आकार अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहनके साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

अनुबंध-XV

परीक्षा हेतु भाषाएं

क्रम सं.	भाषा	कोड
1	हिंदी	01
2	अंग्रेजी	02
3	असमिया	03
4	बांग्ला	04
5	गुजराती	07
6	कन्नड़	08
7	कोंकणी	10
8	मलयालम	12
9	मणिपुरी (मैतेई अथवा मीथेई भी)	13
10	मराठी	14
11	उड़िया	16
12	पंजाबी	17
13	तमिल	21
14	तेलुगु	22
15	उर्दू	23

टिप्पणी: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के माध्यम के इस विकल्प का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें ।

<u>अनुबंध-XVI</u>

<u>सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) में अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक</u>

1. <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की **'अनुसूची-I'** के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन, महानिदेशक, सीमा सड़क मुख्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केंद्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केंद्र में किया जाएगा।

2. **<u>शारीरिक मापदंड:</u>** जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की **"अनुसूची-II"** में उल्लेख किया गया है।

3. **(क) <u>चिकित्सा मानक :</u>** अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप, कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार **जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन)** में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की **'अनुसूची-III'** में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) **<u>चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच</u>**: इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, **मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क** द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से **'अनफिट'** घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उल्लेख उत्तरवर्ती उप पैरा में किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजातों (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को **जीआरईएफ** केंद्र सहित संबंधित भर्ती केंद्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा **जीआरईएफ** केंद्र सहित प्रत्येक भर्ती केंद्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद **चिकित्सा बोर्ड** द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है वहां **संबंधित भर्ती केंद्र अथवा जीआरईएफ केंद्र** के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को

मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी ।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानत: चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अंदर दे दिए जाएं ।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी ।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) <u>**अस्थायी रूप से 'अनफिट'-**</u> अस्थायी रूप से **'अनफिट'** घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) <u>**चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' -**</u> चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से **'अनफिट'** घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्हता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केंद्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केंद्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05 (पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुन: **'अनफिट'** पाया जाता है तो उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी **'फिट'** पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) <u>**शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट-**</u> शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से '**अनफिट**' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा

लिखित रूप से उनकी निर्हता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि **जीआरईएफ** केंद्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से **'अनफिट'** घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी । पुन: मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी **'फिट'** पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ix) **<u>स्थायी रूप से 'अनफिट' -</u>** स्थायी रूप से **'अनफिट'** घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा ।

(**क**) **<u>चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट' -</u>** चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से **'अनफिट'** घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ **जीआरईएफ** केंद्र अथवा भर्ती जोन में 05 (पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुन: चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा **'अनफिट'** घोषित किया जाता है, उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी **'फिट'** पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(**ख**) **<u>शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'-</u>** जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से **'अनफिट'** घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती । तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, **जीआरईएफ** केंद्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम

(एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी ।

(x) **<u>दृष्टि संबंधी मापदंड-</u>** दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(xi) **<u>शल्य चिकित्सा-</u>** यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है (उदाहरणतः हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात 2 माह के भीतर । ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) **<u>चिकित्सा योग्यता</u>-** इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं ।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्याता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा । निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा ।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से **'फिट'** घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल **(बीआरओ)** में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा ।

(iv) **जीआरईएफ** केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा ।

4. **<u>अभ्यर्थिता रद्द करना:</u>** यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी । इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

5. **<u>नियमों में छूट की शक्ति:</u>** जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है ।

6. **<u>व्यावृति:</u>** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची-I

शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह 'ग' पदों के लिए)			
क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।	10मिनट
नोट -(i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है । (ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।			

अनुसूची-II

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	राज्य /क्षेत्र सम्मिलित	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होशियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़), उत्तराखंड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम,नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिले तथा अंडमान निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखंड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली,, दमन एवं दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/**पूर्व-जीआरईएफ** कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.

ज	डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नही होगा)	2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5किग्रा.

अनुसूची-III

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर **उप-महानिदेशक** (कार्मिक) / **जीआरईएफ** केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / **जीआरईएफ** केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी **जीआरईएफ** लिखेगा और नामाकंन अधिकारी को लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा मदों को जीआरईएफ/मेड/2ए का सारणी संख्या 1 चिकित्सा बोर्ड **जीआरईएफ/मेड/2ए** पूरा करेगा।

5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टयों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा । अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं

6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

<u>जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम</u>

<u>अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु</u>

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)

ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।

ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।

घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।

ङ. कि वह ग्रंथियों की सूज़न से पीड़ित नहीं है।

च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।

छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।

ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।

ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।

ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।

ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।

ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

<u>स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार</u>

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगाः-

क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)

ख. असामान्य चाल

ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)

घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर ,सपाट पैर)

ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि

च. बधिरता

छ. हकलाना

ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)

झ. यौन संचारित रोग

ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना

ट. वर्णांधता के मामले

ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस

ड. कान के पर्दे में छेद

ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका

ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत

त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण

थ. अंतःस्त्रावी विकार

द. ह्रदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप>140/95mm Hg)

ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले

न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन

प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो

फ. केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

<u>अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार</u>

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैः-

क. प्टेरिजियम

ख. नेत्र शोध

ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)

घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III

ङ. विपथित नासिका झिल्ली

च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन

छ. कुछेक दांतों में सड़न (डेंचर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)

ज. पिट्रीएसिस वेर्सिकॉलर

झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि
ञ. प्लैंटर मस्से
ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील
ठ. वेरीकोस वेंस
ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर
ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण
ण. गाइनेकोमस्टिया
त. रक्त क्षीणता
थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली
द. 30 से ऊपर बीएमआई (तीन महीने के भीतर बीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

<u>छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता</u>

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।
ख. थोडे मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)
ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)
घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर
ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)
च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।
छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा
ज. थोड़ा हकलाना
झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर
ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर
ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)
ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता
ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर
ढ. वेरीसिस का कम स्तर
ण. टिनिआ वेर्सिकोलर
त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)
थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भो में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में अवश्य दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

<u>किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा</u>

11. (क) **<u>स्थाई रूप से अयोग्य</u>** घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से 01(एक महीने) की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/ योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा **<u>अस्थाई रूप से अयोग्य</u>** घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/ अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह **बी.आर.ओ** में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।

13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट **जीआरईफ/ मेड/ 2ए** में नोट किया जाए।

14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्राय: कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यत:, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट **जीआरईएफ/ मेड/ 2ए** में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

******